Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

121st MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
Held on 01.10.2018

MINUTES

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की **प्रबन्ध मण्डल** की **121वीं बैठक** दिनांक **01 अक्टूबर, 2018** को दोपहर 2:00 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक सूचना **परिशिष्ठ–1** एवं बैठक में उपस्थित होने वाले वाले सदस्यों की सूची **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है।

बैठक के प्रस्ताव पर चर्चा करने के पूर्व डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति व अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

बिन्दु सं. 1 **वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.08.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**
वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.08.2018 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.08.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 2 **विद्या–परिषद की बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदनः–**
विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 07.10.2017, 28.05.2018 एवं 15.06.2018 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 07.10.2017, 28.05.2018 एवं 15.06.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 3 **निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन :–**

निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 27.09.2017, 04.10.2017, 09.10.2017, 06.11.2017, 24.11.2017, 06.12.2017, 19.12.2017, 03.01.2018, 15.03.2018, 07.04.2018, 06.06.2018, 10.07.2018, 10.08.2018, 25.08.2018, 31.08.2018 एवं 26.09.2018 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल की 110वीं बैठक दिनांक 28.09.2016 में यह निर्णय लिया गया था कि जहां निरीक्षण मण्डल द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में अनुशंषा की जा चुकी हो एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक आयोजित नहीं होने के कारण निरीक्षण मण्डल की अनुशंषा का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल से नहीं हो सका हो, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे प्रकरणों में निरीक्षण मण्डल की अनुशंषा के अनुसार कार्यवाही की जावे एवं प्रबन्ध मण्डल से उसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे। अतः प्रबन्ध मण्डल के उक्त निर्णय के दृष्टिगत निरीक्षण मण्डल की उपरोक्त विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों की कियान्विति की जा चुकी है। उक्त निर्णयों की कियान्विति की का अनुमोदन भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय : **निरीक्षण मण्डल की उपरोक्त सभी बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया। साथ ही निरीक्षण मण्डल की उपरोक्त बैठकों में की गई अनुशंषाओं के आधार पर की गई कार्यवाही की भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 4 **परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन :–**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017, 19.12.2017, 03.01.2018, 16.01.2018, 19.02.2018, 13.04.2018, 24.05.2018, 06.08.2018, 10.09.2018 एवं 12.09.2018 के बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की 42वीं वित्त समिति की बैठक दि. 29.08.2018 में परीक्षा समिति के प्रस्तावों पर उत्तर पुस्तिका चैंकिंग चार्जेज, सेन्टर चार्जेज, परिवीक्षक पारिश्रमिक में बढोतरी एवं अन्य वित्तीय प्रस्ताव वाले एजेण्डा बिन्दुओं को पारित नहीं करके आगामी आदेश तक डेफर (Defer) किया गया।**

परीक्षा समिति की उपरोक्त सभी बैठकों के कार्यवाही विवरणों में वर्णित वित्तीय प्रभावों वाले निर्णयों के अतिरिक्त अन्य सभी निर्णयों का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया।

बिन्दु सं. 5 **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन :–**

विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 08.12.2017, 27.02.2018, 28.04.2018, 21.06.2018, 04.07.2018, 02.08.2018 एवं 31.08.2018 की बैठक कार्यवाही विवरण का प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

निर्णय : **अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की उपरोक्त सभी बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 6 **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति तथा परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की यथासमय कियान्विति के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति द्वारा परीक्षाओं के अनुचित साधन प्रकरणों के संबंध में संबंधित विद्यार्थियों की सुनवाई कर प्रकरणों के संबंध में निर्णय/अनुशंषाएं की जाती है। उक्त अनुशंषाओं का विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल से अनुमोदन उपरांत समिति की अनुशंषाओं/निर्णयों से संबंधित विद्यार्थी/महाविद्यालय को अवगत करवाया जाता है तदानुसार ही छात्र/छात्राओं को अगली परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों/अनुशंषाओं की पालना भी प्रबंध मंडल से अनुमोदन के उपरांत करनी होती है।

कतिपय कारणों से प्रबंध बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों/अनुशंषाओं से संबंधितों को समय पर अवगत नहीं करवाया जा पाता है तथा छात्र/छात्राओं की आगामी परीक्षाओं की तिथि घोषित होने पर संबंधित छात्र/छात्राओं द्वारा प्रकरणों से संबंधित निर्णय के संबंध में जानकारी चाही जाती है। इसी प्रकार परीक्षा समिति द्वारा भी कई बार आवश्यक प्रकृति (यथा माननीय न्यायालय की पालना, विद्यार्थियों की आगामी परीक्षा इत्यादि) के निर्णय/अनुशंषाएं भी की जाती है जिनकी शीघ्र पालना करनी होती है, किन्तु प्रबंध मंडल से अनुमोदन ना होने की स्थिति में संबंधित को सूचित किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

अतः प्रबंध बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं होने की स्थिति में यह प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति तथा परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों/अनुशंषाओं से संबंधित छात्रों को अवगत करा दिया जावे, जो कि पूर्णतः प्रबन्ध मण्डल के निर्णय/अनुमोदन के अधीन रहेगी। उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति तथा परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की कियान्विति प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त ही की जानी होती है। परन्तु कतिपय कारणों से प्रबन्ध मण्डल की बैठक आयोजित नहीं हो पाने पर उपरोक्त समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों/अनुशंषाओं से संबंधितों को समय पर अवगत नहीं करवाया जा पाता है तथा छात्र/छात्राओं की आगामी परीक्षाओं की तिथि घोषित होने पर संबंधित छात्र/छात्राओं द्वारा प्रकरणों से संबंधित निर्णय के संबंध में जानकारी चाही जाती है।**

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों/बिन्दुओं के संबंध में परीक्षा समिति/अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति द्वारा अपनी नियमानुसार अनुशंषा की जा चुकी हो एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक आयोजित नहीं होने के कारण इन समितियों की अनुशंषा का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल से नहीं हो सका हो, तो ऐसी परिस्थितियों में पत्रावली पर सक्षम स्तर से अनुमोदन किया जाने के उपरान्त इन दोनों समितियों की अनुशंषा के अनुसार कार्यवाही कर दी जावे एवं प्रबन्ध मण्डल से उसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे।

बिन्दु सं. 7 **विश्वविद्यालय की 'प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल' की बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन :–**
प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल की बैठक दिनांक 17.05.2017, 23.05.2017, 03.06.2017, 08.06.2017, 18.07.2017, 07.09.2017, 08.09.2017, 12.09.2017, 16.09.2017, 19.09.2017, 23.09.2017, 25.09.2017, 16.010.2017, 24.10.2017, 30.10.2017, 07.11.2017, 21.11.2017, 29.11.2017, 10.01.2018, 02.02.2018, 28.02.2018, 06.03.2018, 14.03.2018, 20.03.2018, 23.03.2018, 26.03.2018, 27.03.2018, 13.04.2018, 28.04.2018, 02.05.2018, 07.05.2018, 10.05.2018, 19.05.2018, 29.05.2018, 06.06.2018, 08.06.2018, 27.06.2018, 03.07.2018 एवं 11.07.2018 के बैठक कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की 'प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल' की उपरोक्त सभी बैठकों (दि. 14.03.2018 के अतिरिक्त) के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 8 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि बढ़ाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) के संबंध में :–**

A. <u>विश्वविद्यालय के पत्र क. 21048 दि. 10.01.2018 द्वारा :–</u>
राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विश्वविद्यालय के पत्र क. 21048 दि. 10.01.2018 द्वारा बढाई गई थी :–
अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. 21048 दि. 10.01.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

B. <u>विश्वविद्यालय के पत्र क. 24366 दि. 27.02.2018 द्वारा :–</u>
राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विश्वविद्यालय के पत्र क. 24366 दि. 27.02.2018 द्वारा बढाई गई थी :–

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. 24366 दि. 27.02.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

C. <u>विश्वविद्यालय के पत्र क. 826 दि. 07.04.2018 द्वारा :–</u>
राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए एवं क्रम संख्या 05 से 09 पर अंकित शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 03 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विश्वविद्यालय के पत्र क. 826 दि. 07.04.2018 द्वारा बढाई गई थी :–

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. 826 दि. 07.04.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

D. विश्वविद्यालय के पत्र क. 892 दि. 09.04.2018 द्वारा :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB)पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विश्वविद्यालय के पत्र क. 892 दि. 09.02.2018 द्वारा बढाई गई थी :–

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. 892 दि. 09.02.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

E. विश्वविद्यालय के पत्र क. 7180 दि. 06.07.2018 द्वारा :–

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक 19223 दिनांक 17.03.2018, 19228 दिनांक 17.03.2018, 81 दिनांक 03.03.2018 एवं 264 दिनांक 05.04.2018 द्वारा अवगत कराया गया है महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को 01 वर्ष से अधिक समय हो गया है। उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.04.2015 के प्रस्ताव संख्या 13 में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा 01 वर्ष की अवधि तक आवश्यक/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति विश्वविद्यालय से अनुमोदन उपरान्त की जा सकेगी। 01 वर्ष उपरान्त उक्त अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) से अनुमोदन आवश्यक है। प्रबन्ध मण्डल में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में महाविद्यालय में प्रस्तावित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) का निरीक्षण के दृष्टिगत निम्नलिखित चिकित्सक शिक्षकों समयावधि आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान कराने करने हेतु विश्वद्यिालय के पत्रांक 843 दि. 07.04.2018 द्वारा राज्य सरकार को निवेदन किया गया है :–

उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.04.2015 के प्रस्ताव संख्या 13 में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा 01 वर्ष की अवधि तक आवश्यक/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति विश्वविद्यालय से अनुमोदन उपरान्त की जा सकेगी। 01 वर्ष उपरान्त उक्त अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) से अनुमोदन आवश्यक है। प्रबन्ध मण्डल में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में महाविद्यालय में प्रस्तावित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) का निरीक्षण के दृष्टिगत उपरोक्त चिकित्सक शिक्षकों समयावधि आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान कराने करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक 843 दि. 07.04.2018 द्वारा राज्य सरकार को निवेदन किया गया है।

शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 1(72)एमई/ग्रुप–1/ 2017 जयपुर दिनांक 05.06.2018 द्वारा अनुमति जारी की गई। जिसके क्रम में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर उपरोक्त तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विश्वविद्यालय के पत्र क. 7180 दि. 06.07.2018 द्वारा बढाई गई थी।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. पत्रांक 843 दि. 07.04.2018 एवं 7180 दि. 06.07.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

F. विश्वविद्यालय के पत्र क. 10753 दि. 23.08.2018 द्वारा :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के प्रस्तावित आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर सारणी में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर क्रम संख्या 01 व 02 पर अंकित शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 03 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए एवं क्रम संख्या 03 पर अंकित शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय के पत्र क. 10753 दि. 23.08.2018 द्वारा बढाई गई थी।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. पत्रांक 10753 दि. 23.08.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

G. विश्वविद्यालय के पत्र क. 10746 दि. 23.08.2018 द्वारा :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के प्रस्तावित आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर शैक्षणिक कार्मिकों (तत्काल/अस्थायी आधार पर) की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् बढ़ाई जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के पत्रांक 10746 दि. 23.08.2018 द्वारा जारी की गई थी।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. पत्रांक 10746 दि. 23.08.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

H. विश्वविद्यालय के पत्र क. 10760 दि. 23.08.2018 द्वारा :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के प्रस्तावित आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षक की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् बढ़ाई जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के पत्रांक 10760 दि. 23.08.2018 द्वारा जारी की गई थी।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. पत्रांक 10760 दि. 23.08.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

I. विश्वविद्यालय के पत्र क. 10753 दि. 23.08.2018 द्वारा :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के प्रस्तावित आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर क्रम संख्या 01 व 02 पर अंकित शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 03 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए एवं क्रम संख्या 03 पर अंकित शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् बढ़ाई जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के पत्रांक 10753 दि. 23.08.2018 द्वारा जारी की गई थी।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. पत्रांक 10753 दि. 23.08.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

J. विश्वविद्यालय के पत्र क. 10734 दि. 23.08.2018 द्वारा :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) के प्रस्तावित आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post Facto Approval) के आधार पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि से 03 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् बढ़ाई जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के पत्रांक 10734 दि. 23.08.2018 द्वारा जारी की गई।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. पत्रांक 10734 दि. 23.08.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

K. विश्वविद्यालय के पत्र क. 10741 दि. 23.08.2018 द्वारा :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को 01 वर्ष से अधिक समय हो गया था। प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पत्रांक 8539 दि. 25.07.2018, 8109 दि. 21.07.2018 एवं 6344 दि. 07.07.2018 द्वारा की गई अनुशंषा के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 10741 दि. 23.08.2018 द्वारा द्वारा राज्य सरकार को निवेदन किया गया।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. पत्रांक 10741 दि. 23.08.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

L. विश्वविद्यालय के पत्र क. 10730 दि. 23.08.2018 द्वारा :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को 01 वर्ष से अधिक समय हो गया था :–

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पत्रांक 8534 दि. 26.07.2018, 8104 दि. 21.07.2018 एवं 6939 दि. 09.07.2018 द्वारा की गई अनुशंषा के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 10730 दि. 23.08.2018 द्वारा द्वारा राज्य सरकार को निवेदन किया गया।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. पत्रांक 10730 दि. 23.08.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दि. 15.04.2015 के बिन्दु सं. 13 में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा यह अवगत करवाया गया था कि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा एक वर्ष की अवधि तक आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियुक्ति विश्वविद्यालय से अनुमोदन उपरांत की जा सकेगी। एक वर्ष उपरांत उक्त अभिवद्धि हेतु राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) से अनुमोदन आवश्यक है। उक्त निर्णय की अनुपालना में ही कार्यवाही सम्पादित करते हुए उपरोक्त कार्यालय आदेश/पत्र जारी किये गये हैं।**

विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति/कार्यावधि में वृद्धि के संबंध में की गई कार्यवाही एवं उपरोक्त जारी समस्त पत्रों/ कार्यालय आदेशों हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उपस्थित शासन उप सचिव (व्यय–1), वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति/कार्यावधि में वृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों की पालना विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे।

बिन्दु सं. 9 **राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर कार्यरत शैक्षणिक/ प्रशासनिक कार्मिकों की कार्य समयावधि बढ़ाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) के संबंध में :–**

A. डॉ. सिद्धार्थ मंगल, सहायक आचार्य (डेन्टल एनाटॉमी) :–

राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय के डेन्टल एनाटॉमी विभाग में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत डॉ. सिद्धार्थ मंगल, सहायक आचार्य की समयावधि 01 वर्ष पूर्ण हुई। चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.1(58)(8)संस्था/नि.चि.शि./2017/जयपुर दिनांक 03.01.2018 द्वारा डॉ. सिद्धार्थ मंगल की समायावधि 01 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त अग्रिम 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए बढाई गई है। अतः राज्य सरकार से प्राप्त उक्त स्वीकृति विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

B. डॉ. मंजू गुप्ता, आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री) :–

विश्वविद्यालय के पत्र क. 21507 दि. 16.01.2018 द्वारा विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post Facto Approval) के आधार पर डॉ. मंजु गुप्ता, आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री) की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि दिनांक 25.01.2018 से आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर बढाये जाने की स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् प्रदान की गई, जिसकी अवधि दि. 25.07.2018 को पूर्ण हो चुकी है। इसके उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. मंजू गुप्ता की कार्यावधि नहीं बढाई गई है। विश्वविद्यालय द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

C. डॉ. प्रियंका मान, उप–अधीक्षक (तत्काल/अस्थायी आधार पर):–

विश्वविद्यालय के पत्र क. 16738 दि. 07.12.2017 द्वारा प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post Facto Approval) के आधार पर डॉ. प्रियंका मान, उप–अधीक्षक की कार्य समयावधि अंतिम कार्यावधि दिनांक 18.06.2017 से 06 माह के लिए तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर बढाये जाने की स्वीकृतिसक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जारी की गई थी, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

D. डॉ. अंकिता अग्रवाल, वरिष्ठ प्रदर्शक (तत्काल/अस्थायी आधार पर):–
राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी (UTB) आधार पर कार्यरत डॉ. अंकिता अग्रवाल, वरिष्ठ प्रदर्शक की 01 वर्ष की कार्य समयावधि दिनांक 15.06.2018 को पूर्ण होने के उपरान्त राज्य सरकार से प्राप्त प्रासंगिक आदेशांक प.1(58)(8)/डीएमई/2018/3358 दिनांक 11.06.2018 के क्रम में आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढ़ाये जाने की अनुमति विश्वविद्यालय के पत्रांक 6266 दि. 23.06.2018 द्वारा प्रदान की गई थी, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति/कार्यावधि में वृद्धि के संबंध में की गई कार्यवाही एवं उपरोक्त जारी पत्रों/कार्यालय आदेशों हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

डॉ. मंजू गुप्ता, आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री) के प्रकरण में सदन को अवगत कराया गया कि सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग (क–2) विभाग, राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 व 08.02.2018 (प्रति संलग्न) एवं वित्त विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.09.2014 एवं 01.12.2015 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपने संघटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्रांक 6932–33 दि. 04.07.2018 द्वारा निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। यदि कोई नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों के विरूद्ध है तो महाविद्यालय स्तर पर कार्मिक की सेवायें तत्काल समाप्त करने हेतु भी संबंधित प्रधानाचार्य को अवगत कराया जा चुका है। राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्रों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए डॉ. मंजू गुप्ता, आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री) का कार्यकाल दिनांक दि. 25.07.2018 के पश्चात नहीं बढ़ाया गया है।

बैठक में उपस्थित शासन उप सचिव (व्यय–1), वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति/कार्यावधि में वृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों की पालना विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे।

बिन्दु सं. 10 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सहायक आचार्य (नेत्र रोग) के पद पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB)पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक 15220 दिनांक 11.01.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि महाविद्यालय में नेत्र रोग विभाग में सह आचार्य की तत्काल/अस्थाई आधार पर भर्ती हेतु पद विज्ञापित किया गया था। जिसके क्रम में उक्त पद पर पूर्व में सहायक आचार्य के पद नियुक्त डॉ. निशा दुलानी को तत्काल/अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया। उक्त प्रकिया के पश्चात राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत प्रधानाचार्य द्वारा सहायक आचार्य (नेत्र रोग) के पद को तत्काल/अस्थाई आधार पर भर्ती की अनुमति पत्रांक 15220 दि. 11.01.2018 द्वारा विश्वविद्यालय से चाही गई।

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) के आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post Facto Approval) के आधार पर राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में सहायक आचार्य (नेत्र रोग) के पद पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए तत्काल/अस्थायी आधार(UTB) पर नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्र. 21400 दि. 12.01.2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 11 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन व ई.एन.टी.) एवं सहायक आचार्य (एनेस्थिसिया व पैथोलॉजी) के रिक्त पदों पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB)पर नियुक्ति किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval)के संबंध में :–**

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI)के आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2017 के टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 09 व 11 में लिये गये निर्णयानुसार आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन एवं ईएनटी) एवं सहायक आचार्य (एनेस्थिसिया व पैथोलॉजी) के रिक्त पदों को तत्काल/अस्थाई आधार (UTB)पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) नियमानुसार भरे जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के पत्रांक 14454 दि. 10.11.2017 द्वारा प्रदान की गई, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 12 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 05 शैक्षणिक पदों पर तत्काल/ अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval)के संबंध में :–**

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post Facto Approval) के आधार पर राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नांकित शैक्षणिक पदों पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के पत्र क. 746 दि. 06.04.2018 द्वारा प्रदान की गई थी :–

1. Associate Professor (Pathology)
2. Assistant Professor (Pathology)
3. Assistant Professor (Anesthesia)
4. Sr. Demonstrator (Pathology)
5. Tutor (Anatomy)

अतः विश्वविद्यालय के पत्र क. 746 दि. 06.04.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 13 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीनियर रेजीडेन्ट (Tenure Post) के पदों पर नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval)के संबंध में:–**

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.9(71)डी.एम.ई./2017 दि. 27.04.2018 एवं प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पत्रांक 1799 दि. 02.05.2018 के क्रम में राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में MCH Wing तुरन्त प्रारंभ करने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post Facto Approval) के आधार पर राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नांकित शैक्षणिक पदों (Tenure Post) पर नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय के पत्रांक 6255 दि. 23.08.2018 द्वारा जारी की गई :–

S.No.	Post & Department	Sanction Post
01	Sr. Resident (Anesthesia)	01
02	Sr. Resident (Medicine)	04
03	Sr. Resident (Gen. Surgery)	04
04	Sr. Resident (OBG)	03
05	Sr. Resident (Peadiatric)	03
06	Sr. Resident (Dentistry)	02
	Total	**17**

अतः विश्वविद्यालय के पत्रांक 6255 दि. 23.08.2018 द्वारा जारी की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 14 **चिकित्सक शिक्षकों (मेडिकल एवं दन्त) को स्वयं की वेतन श्रृंखला में पातेय वेतन पर उच्च पद पर लगाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval)के संबंध में :–**

राज.स्वा.वि.वि. के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालय में कार्यरत निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को स्वयं की वेतन श्रृंखला में पातेय वेतन पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त पद पर कार्यव्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आदेश जारी किये गये :–

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान पद	पातेय वेतन पर कार्यव्यवस्थान्तर्गत
01.	डॉ. निशा दुलानी (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (नेत्र रोग)	सह–आचार्य (नेत्र रोग)
02.	डॉ. मोनिका गुप्ता (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (एनाटॉमी)	सह–आचार्य (एनाटॉमी)
03.	डॉ. शिखा सक्सेना (दन्त विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (ओरल पैथोलॉजी)	सह–आचार्य (ओरल पैथोलॉजी)
04.	डॉ. निलोफर खय्याम (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (माईकोबायोलॉजी)	सह–आचार्य (माईकोबायोलॉजी)
05.	डॉ. निधि प्रिया (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (पैथोलॉजी)	सह–आचार्य (पैथोलॉजी)
06.	डॉ. चन्द्रजीत सिंह चन्देल (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	ट्यूटर (एनाटॉमी)	सहायक आचार्य (एनाटॉमी)
07.	डॉ. शिव प्रकाश शर्मा (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	ट्यूटर (पी.एस.एम.)	सहायक आचार्य (पी.एस.एम.)
08.	डॉ. पूनम जाखड (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	ट्यूटर (फार्माकोलॉजी)	सहायक आचार्य (फार्माकोलॉजी)

उपरोक्त संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क. 1468 दि. 17.04.2018, क. 4231 दि. 22.05.2018, क. 1890 दि. 25.04.2018 एव क. 1440 दि. 17.04.2018 की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

डॉ. मनोज अग्रवाल, सदस्य–प्रबन्ध मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि एजेण्डा में प्रस्तुत किये गये चिकित्सकों के प्रकरणों के अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय द्वारा अपने संघटक महाविद्यालयों के निम्नलिखित शिक्षकों को कार्यव्यवस्थान्तर्गत स्वयं की वेतन श्रृंखला में पातेय वेतन पर उच्च पद पर लगाये जाने के आदेश जारी किये गये है :–

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान पद	पातेय वेतन पर कार्यव्यवस्थान्तर्गत
01.	डॉ. मनोज अग्रवाल (दन्त विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री)	सह–आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री)
02.	डॉ. विनय कुमार (दन्त विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (ओरल सर्जरी)	सह–आचार्य (ओरल सर्जरी)
03.	डॉ. प्रहलाद धाकड़ (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (जनरल मेडिसिन)	सह–आचार्य (जनरल मेडिसिन)
04.	डॉ. वरूण सैनी (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय)	सहायक आचार्य (एनेस्थिसिया)	सह–आचार्य (एनेस्थिसिया)

एजेण्डा में वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त उपरोक्त प्रकरणों में भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये आदेशों की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।

बिन्दु सं. 15 **डॉ. पारूल टेमानी, सहायक आचार्य, ऑर्थोडॉन्टिक्स विभाग, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय का लियन (Lien) जारी रखे जाने के संबंध में:–**

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेशांक 17031 दिनांक 23.12.2015 के द्वारा डॉ. पारूल टेमानी, सहायक आचार्य, ऑर्थोडॉन्टिक्स विभाग, दंत विज्ञान महाविद्यालय का अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा–2014 के माध्यम से भारतीय राजस्व सेवा में चयन हो जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रानुसार उन्हें विश्वविद्यालय सेवाओं से कार्यमुक्त कर NACEN, फरीदाबाद में दिनांक 28.12.2015 को कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही डॉ. टेमानी का राजस्थान सेवा नियमों के अधीन नियमानुसार लियन (Lien) पर रहने की अनुमति प्रदान की गई।

डॉ. टेमानी से प्राप्त पत्र दिनांक 16.12.2017 के अनुसार भारतीय राजस्व सेवा में दिनांक 15.01.2016 से 31.12.2016 तक मातृत्व एवं चाइल्ड केयर अवकाश पर रहने के कारण उनका परीविक्षा काल 01 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अतः डॉ. टेमानी ने उनका भारतीय राजस्व सेवा में स्थायीकरण (Confirmation) होने तक राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर लियन जारी रखे जाने हेतु अनुरोध किया। डॉ. टेमानी की लियन जारी रखे जाने के संबंध में विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार श्री के.सी.डी. माथुर को वि.वि. का पत्रांक 24378 दिनांक 27.02.2018 प्रेषित कर राय/टिप्पणी ली गई। वि.वि. के उक्त पत्र के क्रम में श्री के.सी.डी. माथुर से प्राप्त पत्र दिनांक 16.03.2018 के द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई –

"डॉ. टेमानी को इस शर्त के साथ कार्यमुक्त किया गया कि उसका ग्रहणाधिकार राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार रहेगा, कोई समयावधि निर्धारित नही की गई थी। अतः डॉ. टेमानी का ग्रहणाधिकार (Lien) विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य (ऑर्थोडॉन्टिक्स) के पद पर तब तक चालू रहेगा जब तक कि डॉ. टेमानी का स्थायीकरण भारतीय राजस्व सेवा में नही हो जाता।"

अतः निर्देशानुसार डॉ. पारूल टेमानी का लियन (Lien) जारी रखे जाने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। साथ ही भविष्य में विश्वविद्यालय कार्मिकों का अन्यत्र राजकीय सेवा में चयन हो जाने पर उनके निवेदन के क्रम में राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत लियन (Lien) जारी किये जाने के संबंध में भी प्रकरण प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया जाना है।

निर्णय : **उक्त प्रकरण के संबंध में वित्त विभाग, राज. सरकार के प्रतिनिधि सदस्य शासन उप सचिव (व्यय–1) द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा 'राजस्थान सेवा नियमों (RSR)' में विहित प्रावधानों की तर्ज पर ही लियन (Lien) जारी किये जाने चाहिए। विचार–विमर्श उपरान्त डॉ. पारूल टेमानी, सहायक आचार्य, ऑर्थोडॉन्टिक्स विभाग, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय के प्रकरण में भी 'राजस्थान सेवा नियमों (RSR)' के प्रावधानों के अनुसार ही लियन (Lien) की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।**

बिन्दु सं. 16 **राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 37 के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में :–**

राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 37 के प्रावधानान्तर्गत माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी की बैठक दिनांक 28.02.2018 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी यथा – डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य, डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ प्रदर्शक, डॉ. अनुपमा गौड़, सहायक आचार्य एवं सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–।। को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में श्री के.सी.डी. माथुर, विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार से प्राप्त राय/टिप्पणी का अवलोकन करने के पश्चात् सर्वसम्मति से कमेटी सदस्यों ने निम्नानुसार अनुशंषा व्यक्त की है कि :– *"राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अन्तर्गत भी शिथिलता प्रदान की जा सकती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के उपरोक्त नियमों के नियम 42 के नीचे दिये गये परन्तुक के अनुसार –*

"Notwithstanding anything mentioned above, the syndicate shall have the power to relax these rules in special cases and grant such leave as it may deem fit for reasons to be recorded in writing."

अतः संबंधित प्रकरणों में नियमों में शिथिलता दिये जाने हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक के समक्ष रखा जाना उचित होगा। प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।"

अतः कमेटी द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंषा के क्रम में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी के नियम 37 के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी – डॉ. मुनेश कुमार, सहायक आचार्य, डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ प्रदर्शक, डॉ. अनुपमा गौड़, सहायक आचार्य एवं सुश्री सरोज बाला, नर्स ग्रेड–।। को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के प्रकरणों में राजस्थान विश्वविद्यालय के**

ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 37 के अनुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।

सदन को अवगत कराया गया कि उक्त सभी प्रकरणों में जो अध्ययन अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है वह विश्वविद्यालय हित में ही है क्योंकि ये सभी पाठ्यक्रम संबंधित कार्मिक/चिकित्सक के वर्तमान पद के कर्त्तव्यों से जुडे हुए हैं एवं इस अध्ययन से संबंधित कार्मिक/चिकित्सक को निपुणता प्राप्त होगी। इन तथ्यों के दृष्टिगत प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रकरणों के लिए ऑर्डिनेन्स 358 के सैक्शन सी के नियम 37 में सेवा अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपस्थित अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में भी 'राजस्थान सेवा नियमों (RSR)' के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी उचित होगी। उन्होंने बताया कि 'राजस्थान सेवा नियमों (RSR)' के प्रावधानों के साथ अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में लागू की जाने वाली 'अन्य शर्तों' का निर्धारण भी विश्वविद्यालय की सेवा एवं कार्यव्यवस्था को ध्यान में रखते किया जाना चाहिए।

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 'राजस्थान सेवा नियमों (RSR)' के अतिरिक्त अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में लागू की जाने वाली 'अन्य शर्तें' विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित की जाकर इनका आवश्यक समावेश विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमों में भी किया जावे।

बिन्दु सं. 17 **विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के शिक्षकों को विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी नियम 37 के प्रावधानान्तर्गत गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत अध्ययन अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) बाबत् :–**

डॉ. अनुपमा गौड़, सहायक आचार्य, पब्लिक हैल्थ डेन्टिस्ट्री, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2018 के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से पी.एच.डी पाठ्यक्रम में कोर्स वर्क (Course Work) करने हेतु निर्धारित समयावधि (6 माह) के लिए राज.स्वा.वि.वि. से दिनांक 23 जुलाई, 2018 (मध्यहान पश्चात्) कार्यमुक्त किया गया है। डॉ. अनुपमा गौड़ को उक्त पाठ्यक्रम के कोर्स वर्क हेतु निर्धारित समयावधि के अवकाश की स्वीकृति राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी नियम 37 के प्रावधानान्तर्गत गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर विश्वविद्यालय के आदेश क. 8401 दिनांक 23.07.2018 द्वारा प्रदान की गई।

डॉ. गरिमा शर्मा, वरिष्ठ प्रदर्शक, डेन्टल मेटेरियल, राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2018 के अनुसार राजस्थान डेन्टल कॉलेज, जयपुर से M.D.S. (Prosthodontics) Session- 2018-21 पाठ्यक्रम करने हेतु निर्धारित समयावधि (03 वर्ष) के लिए राज.स्वा.वि.वि. से दिनांक 14 अगस्त, 2018 (मध्यहान पश्चात्) कार्यमुक्त किया गया है। डॉ. गरिमा शर्मा को उक्त पाठ्यक्रम करने हेतु निर्धारित समयावधि के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 358 के सेक्शन सी नियम 37 के प्रावधानान्तर्गत गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर विश्वविद्यालय के आदेश क. 9843 दि. 13.08.2018 द्वारा जारी की गई है।

अतः विश्वविद्यालय के आदेश क. 8401 दिनांक 23.07.2018 एवं क. 9843 दि. 13.08.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **उक्त प्रकरण में भी एजेण्डा बिन्दु सं. 17 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।**

बिन्दु सं. 18 **विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को राज्य सरकार के नियमानुसार समय–समय पर देय विभिन्न प्रकार के अवकाश के संबंध में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) बाबत् :–**

विश्वविद्यालय के पत्र क. 8720–21 दि. 25.07.2018 द्वारा संघटक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान एवं दंत विज्ञान महाविद्यालय) में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को राज्य सरकार के

नियमानुसार समय–समय पर देय विभिन्न प्रकार के अवकाश (यथा–मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश एवं चाईल्ड केयर अवकाश इत्यादि) महाविद्यालय स्तर पर स्वीकृत करने बाबत् अधिकृत किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 8720–21 दि. 25.07.2018 द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों व आदेशों के अनुसार ही विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को समय–समय पर देय विभिन्न प्रकार के अवकाश (यथा–मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश एवं चाईल्ड केयर अवकाश इत्यादि) के संबंध में कार्यवाही हेतु संबंधित प्रधानाचार्य को ही अधिकृत किया गया है। अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि कार्यव्यवस्था को सुचारू रूप से गतिमान रखने हेतु विश्वविद्यालय में ऐसे अवकाशों को स्वीकृत किये जाने के लिए कतिपय शर्तो का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जिससे ऐसे अवकाशों के दौरान विश्वविद्यालय का कार्य बाधित नहीं हो।**

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को समय–समय पर राज्य सरकार के नियमों/आदेशों की तर्ज पर विभिन्न प्रकार के अवकाश (यथा–मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश एवं चाईल्ड केयर अवकाश इत्यादि) के संबंध लागू किये जाने वाले प्रावधानों का विस्तृत परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी की एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत करेगी।

बिन्दु सं. 19 **DNB Residents & Sr. Residents के नियत स्टाईपेण्ड एवं वेतन के संबंध में।**

विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 17.11.2016 के टे.एजेण्डा सं. 6 में डी.एन.बी. के अभ्यार्थियों को दिये जाने वाले स्टाईपेंड के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न जयपुरिया चिकित्सालय में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम हेतु आंवटित डी.एन.बी. रेजीडेन्ट्स को राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. छात्रों (रेजीडेन्ट) को दिये जा रहे स्टाईपेंड के समान ही स्टाईपेंड दिया जावें। विद्या–परिषद का उक्त निर्णय प्रबन्ध मण्डल से भी अनुमोदित है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के आदेशांक F-16(47)ME/Gr-1/2017 Part Jaipur, Dated 01-12-2017 के द्वारा सिनियर रेजीडेन्ट्स को दिये जाने वाले स्टाईपेण्ड में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार के उक्त आदेश की अनुपालना में विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 3045 दि. 02.05.2018 द्वारा संघटक महाविद्यालय/चिकित्सालय के सिनियर रेजीडेन्ट्स एवं डी.एन.बी. रेजीडेन्ट्स को भी राज्य सरकार के उक्त आदेशों के अनुसार ही नियत स्टाईपेण्ड दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी उक्त स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 20 **सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय से राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में पदस्थापित किये गये तत्काल/अस्थायी नर्सिंग कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 740/एफ/एमसी/ संस्था/2018 दिनांक 05.01.2018 के माध्यम से राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत पदस्थापित किये गये 25 तत्काल/अस्थायी नर्सिंग कार्मिकों राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में लगाया गया है। इस विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 2722 दि. 30.04.2018 द्वारा प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को उक्त 25 तत्काल/अस्थायी नर्सिंग कार्मिकों के वेतन भुगतान की कार्यवाही आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कोष से किये जाने की कार्यवाही कराने हेतु स्वीकृति जारी की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी उक्त स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 21 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक नवीन चिकित्सालय के लिए डीडीसी (Drug Distribution Center) मय कार्मिकों के खुलवाने के संबंध में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) बाबत् :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 19057 दिनांक 14.03.2018 के माध्यम से महाविद्यालय के संघटक नवीन 500 बैड के चिकित्सालय के लिए डीडीसी (Drug Distribution Center) मय कार्मिकों के खुलवाये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय के पत्र क. 25887 दि. 22.03.2018 द्वारा उक्त प्रस्ताव निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। अतः विश्वविद्यालय स्तर पर की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **उपरोक्त संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये गये प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 22 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के छात्रावासों (बॉयज/गर्ल्स/रेजीडेन्ट) हेतु सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के पत्रांक 10337 दिनांक 30.10.2017, 11135 दिनांक 10.11.2017 एवं 12275 दिनांक 25.11.2017 द्वारा की गई मांग के संदर्भ में विश्वविद्यालय के पत्र क. 16228 दि. 01.12.2017 द्वारा अपने संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के छात्रावासों (बॉयज/गर्ल्स/रेजीडेन्ट) में सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नानुसार सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय में सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है:–

1. बॉयज हॉस्टल हेतु – 02 सुरक्षाकर्मी 08 घंटे की तीन पारियों में अर्थात 06
2. रेजीडेन्सियल क्वार्टर – 02 सुरक्षाकर्मी 08 घंटे की तीन पारियों में अर्थात 06
3. रेजीडेन्सियल क्वार्टर के मुख्य द्वार हेतु – 01 सुरक्षाकर्मी 08 घंटे की तीन पारियों में अर्थात 03

<u>कुल सुरक्षाकर्मी – 15</u>

अतः विश्वविद्यालय स्तर पर की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 23 **विश्वविद्यालय में रिक्त पद पर समेकित पारिश्रमिक पर श्री विजय प्रताप सिंह (सेवानिवृत्त कार्मिक) की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवायें लिये जाने के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय में रिक्त पद पर कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 जयपुर दिनांक 08.02.18 के अनुसार अन्तिम भुगतान प्रपत्र/पेन्शन पे–ऑर्डर में वर्णित विवरणानुसार समेकित पारिश्रमिक राशि रू. 13400/– पर, छः माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए श्री विजय प्रताप सिंह (सेवानिवृत्त कार्मिक) को विश्वविद्यालय के पत्र क. 26849 दि. 31.03.2018 द्वारा संविदा पुनर्नियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 24 **राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अनुसार वेतन भुगतान हेतु जारी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) के संबंध में :–:–**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक 16.12.2013 के बिन्दु संख्या 06 में राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशों के तहत समय–समय पर वेतनमान, महंगाई भत्ता, बोनस एवं अन्य भत्तों का विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारीयों/कर्मचारियों को

भुगतान/स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया था।
शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 27(41)एम.ई./ग्रुप–1/91 पार्ट जयपुर दिनांक 27.04.2018 की अनुपालना में एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक 16.12.2013 के बिन्दु संख्या 06 में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अनुसार भुगतान किये जाने की अनुमति विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश के. 2146 दि. 27.04.2018 द्वारा जारी की गई। विश्वविद्यालय स्तर पर की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 25 **श्री अनिल कुमार काजला, परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. को विश्वविद्यालय में नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर संस्थायी किये जाने के संबंध में जारी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) के संबंध में :–**
विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 19628 दिनांक 02.02.2016 द्वारा श्री अनिल कुमार काजला को राज.स्वा.वि.वि. में परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया था। जिसकी अनुपालना में इनके द्वारा दिनांक 03.02.2016 को उक्त पद कार्यग्रहण किया गया था। श्री अनिल कुमार काजला द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर एवं इनकी सन्तोषप्रद कार्य रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के आदेश क्रत्र 194 दि. 03.04.2018 द्वारा इन्हें दिनांक 03.02.2018 से विश्वविद्यालय सेवा में संस्थायी किया गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर की गई उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 26 **विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वर्तमान में देय "नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस" को राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार "ऑप्शनल नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस" किये जाने के संबंध में :–**
वर्तमान में विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को "नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस" दिया जा रहा है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोशिएशन (RUHS) के पत्र दिनांक 17.04.2018 द्वारा विश्वविद्यालय को निवेदन किया गया है कि उक्त "नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस" को राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्र. F.6(8)FD/Rules/2017 dated 30.10.2017 & F.6(3) FD/Rules 2008 dated 28.06.2013 के अनुसार "ऑप्शनल नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस" कर दिया जावे। अतः उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय में "ऑप्शनल नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस" लागू किये जाने से पूर्व इसका विस्तृत परीक्षण किया जाना उचित होगा। विचार–विमर्श उपरान्त इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर प्रति कुलपति, राज.स्वा.वि.वि. की अध्यक्षता में समस्त संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा गहनता से अध्ययन किया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जावे। वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. को भी उक्त समिति में सम्मिलित किया जावेगा।**

बिन्दु सं. 27 **विश्वविद्यालय के 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय में एक वर्ष के लिए आर.टी.पी.पी. नियमों के अनुरूप परामर्शदाता (Consultant) नियुक्त करने के संबंध में :–**
विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश 5478 दिनांक 08.06.2018 के द्वारा गठित एक्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक दिनांक 25.06.2018 के बिन्दु संख्या 05 में निर्णय लिया गया था कि महाविद्यालय के 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय में आर.टी.पी.पी. नियमों के अनुरूप एक वर्ष के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की जावेगी। उक्त क्रम में प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 7626 दिनांक 17.07.2018 के माध्यम से उक्त कमेटी का बैठक कार्यवाही विवरण एवं परामर्शदाता के कार्य विवरण से संबंधित दस्तावेज संलग्न कर नवीन

चिकित्सालय में एक वर्ष के लिए आर.टी.पी.पी. नियमानुसार परामर्शदाता की नियुक्ति करवाये जाने हेतु अनुरोध किया है।

अतः प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से प्राप्त अनुशंषा अनुसार विश्वविद्यालय के 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय में एक वर्ष के लिए आर.टी.पी.पी. नियमों के अनुरूप परामर्शदाता (Consultant) नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **शासन सचिव महोदय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा जानकारी चाही गई कि 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु परामर्शदाता (Consultant) से किस प्रकार की सेवाऐं प्राप्त की जावेंगी। इस संबंध में प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा सदन को अवगत कराया कि नवीन चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार की योजनाऐं जैसे MNDY, MNJY, BSBY आदि लागू की जानी है, इसके अतिरिक्त अस्पताल की स्थापना के साथ ही एक बेहतर व प्रभावी प्रबन्धन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अतः अस्पताल प्रबन्धन (Hospital Management) से संबंधित सेवाओं के लिए परामर्शदाता को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है।**

डॉ. वी.एम. कटोच, माननीय सदस्य द्वारा भी सदन में यह प्रस्ताव रखा कि चिकित्सालय के शुरूआती चरण से ही बेहतर चिकित्सकीय सेवाऐं प्रदान करने एवं अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने की दृष्टि से भी किसी अनुभवी एवं वरिष्ठ परामर्शदाता (Consultant) की सेवाऐं ली जा सकती है। इस संबंध में शासन सचिव महोदय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा कहा गया कि परामर्श संबंधी सेवाऐं किसी विशेष प्रोजेक्ट अथवा विशिष्ट कार्यों हेतु एक निश्चित अवधि तक ही ली जा सकती है।

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु परामर्शदाता (Consultant) की आवश्यकता एवं उनसे ली जानी वाली सेवाओं का उल्लेख करते हुए इस नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 28 **विश्वविद्यालय में सीनियर लॉ ऑफिसर का 1 पद स्वीकृत करवाये जाने के संबंध में :–**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा/विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर, अधिनस्थ न्यायालयों में लगने वाले प्रकरण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर होने वाले प्रकरणों की Monitoring हेतु विश्वविद्यालय में केवल कनिष्ठ विधि अधिकारी का पद ही स्वीकृत है जबकि विश्वविद्यालय के विधि अनुभाग में प्रकरणों की अधिकता है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अनुसार भी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में लम्बित प्रकरणों जिनमें जवाबदावा पेश किया जाना शेष है। अतः कार्य की अधिकता एवं अनिवार्यता को देखते हुए विश्वविद्यालय में सीनियर लॉ ऑफिसर का 1 पद स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक है जिससे समय–समय पर विधिक कार्यों को भली भांति सम्पादित किया जा सके।

अतः विश्वविद्यालय में सीनियर लॉ ऑफिसर का 1 पद स्वीकृत करवाये जाने के संबंध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **इस संबंध में भी यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में सीनियर लॉ ऑफिसर की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इसका 1 पद सृजित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**

बिन्दु सं. 29 **अधिनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं की फीस बढाये जाने के सम्बन्ध में:–**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण सूचीबद्ध होते है, इनमे अधिनस्थ न्यायालयों में भी प्रकरण विश्वविद्यालय के विरूद्ध विचाराधीन होते हैं। अधिनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ता की फीस अन्य न्यायालयों के अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस की तुलना मे अपेक्षाकृत बहुत कम है। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 110वीं बैठक दिनांक 28.9.16 द्वारा बढोतरी की गई हैं इसमें अधिनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं की भी फीस बढ़ाई गई, परन्तु उक्त बढ़ाई गई राशि 3000/ जयपुर क्षेत्र के बाहर विचाराधीन प्रकरणों मे अधिवक्ताओं द्वारा स्वीकार नही की जाती है। उनके अनुसार उक्त राशि बहुत कम है। अधिनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा भी जवाबदावा तैयार करना, सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाना

आदि कार्य उच्च न्यायालय की अधिवक्ताओ की भांति ही किया जाता है एवं खर्चे भी उच्च न्यायालय के समान ही होते है किन्तु फीस उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से अपेक्षाकृत बहुत कम है जिससे कोई भी अधिवक्ता प्रकरण (वाद) में पैरवी हेतु तैयार नही होता है। अधिवक्ता नियुक्त नही होने की दशा मे प्राय स्वयं प्रभारी अधिकारी को पैरवी हेतु जाना पडता है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय के अधिवक्ता को रू. 5000/– की राशि पैरवी हेतु एवं अन्य विविध खर्चों माननीय उच्च न्यायालय के समान दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **शासन उप सचिव (व्यय–1), वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं की फीस राज्य सरकार के अनुसार ही निर्धारित की जानी चाहिए।**

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार एवं 'राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (RAJ-MES)' के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं हेतु निर्धारित फीस संरचना का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाकर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आवश्यक निर्णय लिया हेतु रखा जावेगा।

बिन्दु सं. 30 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत बजट राशि में से आर.एस.आर.डी.सी. को हस्तांतरित की गई राशि रु. 36.60 करोड़ (राशि रू. छत्तीस करोड साठ लाख मात्र) की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या– 69 वर्ष 2013–14 की क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण हेतु मार्च–2018 तक राज्य सरकार द्वारा RUHS को राशि रू. 22240.00 लाख आवंटित किए गए है तथा उक्त राशि में से 185.80 करोड का हस्तांतरण परियोजना निदेशक (यूनिट तृतीय) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को पूर्व में किया जा चुका है।

कार्य की निरन्तरता को बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालय के पीडी खाते में निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध राशि में से RSRDC द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की डेजिगनेटेड कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम राशि रु. 36.60 करोड़ (राशि रू. छतीस करोड़ साठ लाख मात्र) हस्तान्तरित करने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्र. 74 दि. 02.04. 2018 द्वारा प्रदान की गई है। कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर यह सुनिश्चित करेगी कि उपरोक्त राशि का नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में स्वीकृत कार्यो पर ही व्यय हों। कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी कार्य की राशि जारी की जा सकेगी।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा जारी उक्त कार्यालय आदेश प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 31 **विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु दी गई राशि रू. 1.50 करोड़ का अन्य लोकहित में उपयोग किये जाने के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत राशि रू. 1.50 करोड़ की राशि जारी की गयी थी, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा Cath Lab PPP मोड पर लिये जाने के कारण गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी राशि का उपयोग नहीं पाया है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा पत्र कमांक 4093 दिनांक 21.06.2017 द्वारा यह पूछा गया है कि उक्त राशि का उपयोग लोकहित में अन्य किसी प्रकार से किया जा सकता है। उक्त राशि के उपयोग के संबंध में गेल (इंडिया) लिमिटेड के उच्चाधिकारियों से विचार–विमर्श उपरांत निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सूचित किये

जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को राज्य सरकार का यह पत्र प्राप्त हुआ है। अतः गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जारी राशि रू. 1.50 करोड़ के लोकहित में उपयोग करने अथवा पुनः गेल इंडिया लिमिटेड को लौटाये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर. के तहत विश्वविद्यालय को कैथ लेब की स्थापना के उद्धेश्य से प्रदान की गई राशि रू. 1.50 करोड़ को अन्य लोकहित कार्य में उपयोग करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि उक्त राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के संघटक चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित की जा रही स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना एवं इसकी कियान्विति हेतु किया जा सकता है, जो कि वर्तमान में फैल रही गंभीर बिमारियों (स्वाईन फ्लू, जीका वाइरस आदि) के रोकथाम एवं निदान हेतु लोकहित में काम आ सकेगी। उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि चुंकि उक्त राशि गेल (इंडिया) लिमिटेड से 'कॉर्पोरेट सोशियल रेस्पोंसिबिलटी (CSR)' के तहत विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है, अतः उक्त राशि के विनिर्दिष्ट उपयोग के अतिरिक्त अन्य लोकहित प्रयोजन में उपयोग किये जाने संबंध में गेल (इंडिया) लिमिटेड से पूर्वानुमति भी प्राप्त की जावे।**

बिन्दु सं. 32 **शैक्षणिक सत्र 2018–19 की सम्बद्धता हेतु बिना विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि के आवेदन पत्र के साथ सम्बद्धता शुल्क जमा कराये जाने की अंतिम तिथि 31.12.2017 तक सम्बद्धता शुल्क तो जमा कराने परन्तु सम्बद्धता आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली संस्थाओं के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु जारी सम्बद्धता कलेण्डर के अनुसार बिना विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि के सम्बद्धता आवेदन प्रपत्र के साथ सम्बद्धता शुल्क जमा कराये जाने की अंतिम तिथि 31.12.2017 थी। उक्त कलेण्डर के अनुसार संस्थाओं को सम्बद्धता शुल्क के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ सम्बद्धता आवेदन प्रपत्र मय आवश्यक संलग्नक विश्वविद्यालय में जमा करवाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। उल्लेखनीय है कि कुछ संस्थाओं से सम्बद्धता आवेदन व सम्बद्धता शुल्क अलग–अलग तिथियों को विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए है, जिनके संबंध में प्रकरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण : 1</u>

कई संस्थाऐं ऐसी है जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु बिना विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि के सम्बद्धता आवेदन के साथ सम्बद्धता शुल्क जमा कराये जाने की अंतिम तिथि 31.12.2017 तक सम्बद्धता शुल्क तो विश्वविद्यालय में जमा करवा दिया गया है परन्तु सम्बद्धता आवेदन (*पूर्ण रूप से भरा हुए निरीक्षण प्रपत्र मय आवश्यक संलग्नक*) अलग से अंतिम तिथि दि. 31.12.2017 के पश्चात 28.02.2018 तक विश्वविद्यालय को प्रेषित किये गये हैं।

ऐसी संस्थाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं से सम्बद्धता आवेदन विश्वविद्यालय में दि. 31.12.2017 तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु जारी सम्बद्धता कलेण्डर में निर्धारित तिथियों के अनुसार सम्बद्धता शुल्क मय विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि वसूल की जावे। उक्त निर्णय की अनुपालना में संस्थाओं को विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि जमा कराने हेतु पत्र जारी किये जा चुके हैं। विश्वविद्यालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध कुछ संस्थाओं ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर किये है।

<u>प्रकरण : 2</u>

शैक्षणिक सत्र 2018–19 की सम्बद्धता हेतु विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि सहित सम्बद्धता आवेदन पत्र के साथ सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 28.02.2018 निर्धारित की गई थी, परन्तु कुछ संस्थाऐं ऐसी भी है जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु बिना विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि के सम्बद्धता शुल्क जमा कराये जाने की अंतिम तिथि 31.12.2017 तक सम्बद्धता शुल्क तो विश्वविद्यालय में जमा करवा दिया गया है परन्तु सम्बद्धता आवेदन (*पूर्ण रूप से भरा हुए निरीक्षण प्रपत्र मय आवश्यक संलग्नक*) विलम्ब शुल्क व पेनल्टी की अंतिम तिथि दि. 28.02.2018 तक भी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

इस संबंध में निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 15.03.2018 के एजेण्डा संख्या 18 में यह

निर्णय लिया गया कि ऐसी सभी संस्थाओं का शैक्षणिक सत्र 2018–19 को 'जीरो सेशन' रखते हुए सम्बद्धता कलेण्डर 2018–19 के अनुसार दि. 28.02.2018 को देय सम्बद्धता शुल्क मय विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि वसूल की जावे। निरीक्षण मण्डल के उक्त निर्णय की अनुपालना में संस्थाओं को पत्र जारी किये जा चुके हैं। विश्वविद्यालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध कुछ संस्थाओं ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर किये है।

अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से एवं निरीक्षण मण्डल के स्तर से लिये गये निर्णयों की कियान्विति हेतु की गई उपरोक्त कार्यवाही की कायोत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **उपरोक्त दोनों प्रकरणों में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से एवं निरीक्षण मण्डल के स्तर से लिये गये निर्णयों की कियान्विति हेतु की गई उपरोक्त कार्यवाही की कायोत्तर स्वीकृति (Post Fact Approval) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 33 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक चिकित्सालय हेतु आर.एम.आर.एस. (राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी) का गठन के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि एक्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक दिनांक 14.08.2018 में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक चिकित्सालय हेतु आर.एम.आर.एस. (राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी) का गठन करने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्नांकित सदस्य रहेंगे :–

(i)	प्राचार्य एवं नियंत्रक	– अध्यक्ष
(ii)	अधीक्षक, सम्बन्धित चिकित्सालय	–सदस्य सचिव
(iii)	प्राचार्य द्वारा नामित एक आचार्य	– सदस्य
(iv)	राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के दूसरे संघटक चिकित्सालय का अधीक्षक	– सदस्य
(v)	सम्बन्धित चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा मनोनीत एक आचार्य	– सदस्य
(vii)	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के उप–कुलसचिव	– सदस्य
(vii)	माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित दानदाता (जो चिकित्सा सेवाओं के योगदान में विशेष रूचि रखता हो एवं समाज का प्रतिष्ठित नागरिक हो)	– सदस्य
(viii)	माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित जनप्रतिनिधि	– सदस्य
(ix)	मुख्य लेखाधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	– सदस्य

आर.एम.आर.एस. की नियमावली चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्य राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के समान ही रहेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आर.एम.आर.एस. का अनुमोदन विश्वविद्यालय से करवाने के उपरान्त इसको सोसायटीज एक्ट में पंजीकृत करवाया जावे। इसके अतिरिक्त अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह भी प्रस्ताव है कि आरएमआरएस. में महाविद्यालय में पदस्थापित/कार्यरत वरिष्ठतम लेखा अधिकारी को भी इसमें सम्मिलित किया जावे। आरएमआरएस. के नियम अन्य राजकीय चिकित्सालयों की तर्ज पर लागु किये जावेंगे।

अतः प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से पत्रांक 10934 दि. 29.08.2018 के माध्यम से संघटक चिकित्सालय हेतु आर.एम.आर.एस. (राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी) का गठन के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त आर.एम.आर.एस. (राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी) के समान ही राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक चिकित्सालय हेतु भी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के गठन के उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अति. निदेशक, चि.शि. विभाग द्वारा कहा गया कि उक्त सोसायटी में उप निदेशक (एके.), चि.शि. विभाग, राज. सरकार को भी सदस्य बनाया जाना उचित होगा, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के उप–कुलसचिव का नामनिर्देशन विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा किया जावेगा। सदन के समक्ष उक्त सोसायटी का विधान पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसका भी सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा उक्त सोसायटी का बैंक खाता, रजिस्ट्रेशन आदि हेतु भी सदन के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्ताव रखा। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त सोसायटी का गठन शीघ्र किया जावे एवं अन्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की भांति ऐसे प्रशासनिक निर्णय इस सोसायटी के माध्यम से ही महाविद्यालय स्तर पर लिये जाकर उनकी आवश्यक कियान्विति की जावे।

बिन्दु सं. 34 **500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय में निजी जन सहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर विभिन्न जॉच सुविधाऐं प्रारम्भ किये जाने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि एक्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक दिनांक 14.08.2018 में नवीन चिकित्सालय में निजी जन सहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर CT, MRI, Radiology investigations viz Follicular Study, Doppler study, SSG, HSG, IVC, IVP, Sono Mamography (both and one breast), Barium enema, Barium meal एवं अन्य जाँच सेवाओं के सम्बन्ध में टेण्डर डॉक्यूमेंट जारी करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि चिकित्सालय में उक्त सुविधाएं शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु टेण्डर जारी कर दिया जावे। उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया कि नवीन चिकित्सालय में CT, MRI सहित अन्य जांच सुविधाऐं यदि विश्वविद्यालय स्तर से प्रारम्भ की जाती है तो इसके पूंजीगत व्यय काफी अधिक होंगे। अतः एस. एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर एवं राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर की तर्ज पर ही विश्वविद्यालय के नवीन 500 शैय्याओं के चिकित्सालय में निजी जन सहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर CT, MRI, Radiology investigations viz Follicular Study, Doppler study, SSG, HSG, IVC, IVP, Sono Mamography (both and one breast), Barium enema, Barium meal एवं अन्य जाँच सेवाऐं प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।**

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु जारी किये जाने वाले टेण्डर में शर्तें व नियम यथासम्भव एस.एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर एवं अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों की भांति रखी जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि उक्त कियान्विति से चिकित्सालय का एक मुख्य आय स्त्रोत विकसित हो, ताकि चिकित्सालय का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।

बिन्दु सं. 35 **नवीन चिकित्सालय में सुरक्षा प्रहरियों (Security Guards) की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में:–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि एक्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक दिनांक 14.08.2018 में महाविद्यालय के नवीन चिकित्सालय में चिकित्सालय में सुरक्षा प्रहरियों की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रारम्भिक अवस्था में इमरजेन्सी विभाग में एक–एक सुरक्षा प्रहरी (प्रत्येक 08 घंटे की पारी) अर्थात 03 सुरक्षा प्रहरी, ओपीडी. ब्लॉक के प्रत्येक तल व ओ.टी. कॉम्पलेक्स में एक–एक सुरक्षा प्रहरी अर्थात 03 सुरक्षा प्रहरी तथा वार्डों हेतु प्रत्येक तल हेतु एक सुरक्षा प्रहरी (प्रत्येक 08 घंटे की पारी) अर्थात तीन तलों हेतु 09 सुरक्षा प्रहरी लगाये जावे। भविष्य में आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रहरियों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकेगी। अतः नवीन 500 शैय्याओं के चिकित्सालय हेतु प्रारम्भिक अवस्था में कुल 15 सुरक्षा प्रहरियों की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त सुविधा नवीन चिकित्सालय में उपलब्ध करवाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त महाविद्यालय से सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित फर्म से ही आर.टी.पी.पी. नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत तक कार्यादेश में अभिवृद्धि के प्रावधान के दृष्टिगत अतिरिक्त 15 सुरक्षाकर्मी नवीन 500 शैय्याओं के चिकित्सालय हेतु उपलब्ध कराये जाने की प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 36 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में नवनिर्मित प्राचार्य एवं आचार्यों के आवासों में विश्वविद्यालय का 20 कमरों का गेस्ट हाऊस एवं रेस्टोरेंट प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 05.07.2018 को आवास आवंटन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें निर्णय लिया गया कि राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में निर्मित प्राचार्य व आचार्यों के आवासों में विश्वविद्यालय का 20 कक्षों का गेस्ट हाऊस तथा तलघर में आरटीडीसी. की दरों पर रेस्टोरेंट प्रारम्भ किया जाए।

उक्त सम्बन्ध में पूर्व में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को आवास एवं अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रावास आवंटन के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 03.01.2018 के बिन्दु संख्या 07 एवं बैठक दिनांक 23.03.2018 में भी उक्त आवासों में 20 कमरों का गेस्ट हाऊस एवं तलघर में आरटीडीसी. की दरों पर रेस्टोरेंट स्थापित करने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया गया था (प्रति संलग्न) व यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त के अनुरूप गेस्ट हाऊस एवं कैफेटेरिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में टेण्डर डोक्यूमेंट राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्तर पर बनवाया जावे।

विश्वविद्यालय में आयोजित उपरोक्त बैठकों के अनुरूप बनाया गया टेण्डर डोक्यूमेंट समिति के सुझाव अथवा अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था ताकि शीघ्र विश्वविद्यालय का गेस्ट हाऊस प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में रेवेन्यू शेयरिंग आधार पर निजी सहभागिता से गेस्ट हाऊस स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में नवनिर्मित प्राचार्य एवं आचार्यों के आवासों में विश्वविद्यालय का 20 कमरों का गेस्ट हाऊस एवं रेस्टोरेंट बनाये जाने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। गेस्ट हाउस व रेस्टोरेंट की आवश्यकता एवं औचित्य के बारे में प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा सदन को अवगत कराया गया।**

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चुंकि उक्त आवासों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति राशि से किया गया है अतः राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में नवनिर्मित प्राचार्य एवं आचार्यों के आवासों में विश्वविद्यालय का 20 कमरों का गेस्ट हाऊस एवं रेस्टोरेंट बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।

बिन्दु सं. 37 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एजेन्सी के माध्यम से टैक्नीशियन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में:–**

विश्वविद्यालय में टैक्निशियन के 40 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 08 पद अबोलिश होने के पश्चात् 32 पद बचे हुए हैं। उक्त पदों पर राज्य सरकार से भर्ती की स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा 22 टैक्नीशियन के पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में महाविद्यालय में मात्र 03 टैक्निशियन एवं 02 लैब टैक्नीशियन कार्यरत है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2017 के निर्णय बिन्दु संख्या 18 में निर्णय लिया गया था कि स्वीकृत पदों पर महाविद्यालय में कार्यव्यवस्था के आधार पर प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त आधार पर कार्मिक लिए जा सकते है।

उल्लेखनीय है कि उक्त के 09 माह पश्चात् भी प्रतिनियुक्ति आधार पर टैक्नीशियन महाविद्यालय में कार्य हेतु उपलब्ध नहीं हो पाये है। टैक्नीशयनों के अभाव में सभी संकायों की प्रयागशालाओं के कार्य अत्यंत प्रभावित हो रहे है एवं एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किए जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे इनके परिणाम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उक्त के अतिरिक्त राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण जाँच कार्य भी अत्यधिक प्रभावित हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि निकट भविष्य में महाविद्यालय का 500 शैय्याओं का चिकित्सालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है व विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक दिनांक 19.06.2018 के बिन्दु संख्या 01 में लिये गये निर्णयानुसार वर्तमान में नवीन चिकित्सालय 200 शैय्याओं से प्रारम्भ किया जावेगा एवं निकट भविष्य में शैय्याओं की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 की जावेगी। उक्त नवीन चिकित्सालय में टैक्नीशियनों की अति आवश्यकता रहेगी एवं बजट घोषणा

के अन्तर्गत की गई घोषण के आधार पर चिकित्सालय में प्रारंभ की जाने वाली स्वाईन फ्लू लैब को टैक्नीशियन स्टाफ के अभाव में प्रारंभ किया जाना असंभव है।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 17654 दिनांक 16.12.2017 एवं 18216 दिनांक 21.12.2018 के द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखे गये थे किन्तु प्रत्युत्तर अपेक्षित है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप टैक्नीशियन एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने सदन को अवगत कराया कि पूर्व में प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2017 के बिन्दु संख्या 18 में निर्णय लिया गया था कि महाविद्यालय में टेक्नीशियन के स्वीकृत पदों पर कार्यव्यवस्था के आधार पर प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त आधार पर कार्मिक लिए जा सकते है। परन्तु सेवानिवृत्त कार्मिक/प्रतिनियुक्ति आधार पर टैक्नीशियन महाविद्यालय में कार्य हेतु उपलब्ध नहीं हो पाये है। टैक्नीशयनों के अभाव में सभी संकायों की प्रयागशालाओं के कार्य अत्यंत प्रभावित हो रहे है एवं एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किए जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे इनके परिणाम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उक्त के अतिरिक्त राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण जाँच कार्य भी अत्यधिक प्रभावित हो रहा है।**

महाविद्यालय में टैक्नीशियन्स की कमी को देखते हुए विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा महाविद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमानुसार एजेन्सी के माध्यम से टेक्नीशियन कार्मिक लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उपस्थित शासन उप सचिव (व्यय–1), वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे।

बिन्दु सं. 38 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में अधिकतम आयु सीमा प्राप्त कर चुके तत्काल/अस्थाई आधार पर नियुक्त आचार्यों के सम्बन्ध में:–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में वर्तमान में निम्नांकित आचार्य कार्यरत हैं जो कि 65 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त कर चुके हैं/करने वाले हैं :–

क्र.सं.	नाम एवं पद	विभाग	जन्म तिथि
01.	डॉ. कल्पना बैजल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (राज्य सरकार से सेवानिवृत्त)	फार्माकोलॉजी विभाग	29.09.1954
02.	डॉ. सलमा मशरकी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (राज्य सरकार से सेवानिवृत्त)	निश्चेतन विभाग	09.11.1950
03.	डॉ. राकेश प्रताप खूंटेटा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (राज्य सरकार से सेवानिवृत्त)	स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	22.12.1953
04.	डॉ. सुनीला चड्डा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (राज्य सरकार से सेवानिवृत्त)	पैथोलॉजी विभाग	14.01.1950
05.	डॉ. अशोक कुमार मेहरोत्रा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (उत्तरप्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त)	टी.बी. एण्ड चेस्ट विभाग	24.09.1949

उक्त चिकित्सक शिक्षकों में 03 चिकित्सक शिक्षक 65 वर्ष की आयु से अधिक हैं एवं उक्त चिकित्सक शिक्षकों को वर्तमान में राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फिक्स वेतन रूपये 75,150 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि उक्त चिकित्सक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर महाविद्यालय में अनुभवी चिकित्सक शिक्षकों की कमी होगी तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के आगामी निरीक्षण में चिकित्सक शिक्षकों की कमी के कारण विपरित टिप्पणी अंकित की जावेगी। इन विशेषताओं में आचार्यों की योग्यता वाले चिकित्सक शिक्षकों की अत्याधिक कमी है।

अतः उपरोक्त राज्य सेवा से सेवानिवृत्त चिकित्सकों को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के आधार पर वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में MCI/DCI के निरीक्षण के दृष्टिगत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर सक्षम स्वीकृति के पश्चात तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति संबंधित प्रधानाचार्य के स्तर पर की जाती है। उक्त कार्मिकों की नियुक्ति राज्य सरकार में प्रचलित नियमों, विश्वविद्यालय में निर्धारित आयु सीमा एवं योग्यता व पात्रता इत्यादि के मद्देनजर एवं पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करते हुए की जानी आवश्यक है। साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग (क–2) विभाग, राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 व 08.02.2018 (प्रति संलग्न) एवं वित्त विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.09.2014 एवं 01.12.2015 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपने संघटक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्रांक 6932–33 दि. 04.07.2018 द्वारा निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। यदि कोई नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों के विरूद्ध है तो महाविद्यालय स्तर पर कार्मिक की सेवायें तत्काल समाप्त करने हेतु भी संबंधित प्रधानाचार्य को अवगत कराया जा चुका है।

निर्णय : **प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय के विभिन्न विषयों में तत्काल/अस्थाई आधार पर नियुक्त उपरोक्त आचार्य कार्यरत हैं जो कि 65 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त कर चुके हैं/करने वाले हैं। सदन को अवगत कराया गया कि इन विशेषताओं में आचार्यों की योग्यता वाले चिकित्सक शिक्षकों की अत्याधिक कमी है। इन चिकित्सक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर महाविद्यालय में अनुभवी चिकित्सक शिक्षकों की कमी होगी तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के आगामी निरीक्षण में चिकित्सक शिक्षकों की कमी के कारण विपरित टिप्पणी अंकित की जावेगी। सदन को अवगत कराया गया कि एम.सी.आई. के नियमानुसार चिकित्सक शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है एवं राज्य सरकार द्वारा RAJ MES के नियमों में एम.सी.आई. के नियमों के दृष्टिगत चिकित्सक शिक्षकों की अधिकतम आयु 70 वर्ष ही रखी गई है।**

अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा वर्तमान में विश्वविद्यालय में चिकित्सक शिक्षकों (मेडिकल संकाय) की निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु एवं विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमों में इस संबंध में किये गये प्रावधानों की जानकारी सदन को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है एवं विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमों में भी चिकित्सक शिक्षकों (मेडिकल संकाय) की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई।

विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा RAJ MES के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय में भी चिकित्सक शिक्षकों (मेडिकल संकाय) की अधिकतम आयु सीमा 65 से 70 वर्ष किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 65 वर्ष के उपरान्त (70 वर्ष तक) संविदा (सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक) को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय अथवा तत्काल/अस्थाई आधार पर नियुक्त होने वाले चिकित्सक शिक्षकों को दिये जाने वाले फिक्स वेतन के निर्धारण हेतु राज्य सरकार को निवेदन किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 39 **विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप Retirement Gratuity/Death Gratuity, अनुकम्पा नियुक्ति एवं एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष किये जाने के संबंध में :–**

A. Retirement Gratuity/Death Gratuity:-

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्र. F.12(8)FD/Rules/2008 Pt. I Jaipur दि. 06.12.2018 द्वारा 01.01.2004 के पश्चात राजकीय सेवा में आये राज्यकर्मियों पर भी Rajasthan Civil Service (Contributory Pension) Rules, 2005 लागू किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोशिएशन (RUHS) के पत्र दिनांक 29.07.2018 द्वारा विश्वविद्यालय को निवेदन किया गया है राज्य सरकार के वित्त विभाग के उक्त आदेश के समान विश्वविद्यालय कार्मिकों को भी Retirement Gratuity/Death Gratuity का लाभ दिया जावे। उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

B. अनुकम्पा नियुक्ति :–

राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राजकीय सेवा के दौरान राज्यकर्मी की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोशिएशन (RUHS) के पत्र दिनांक 29.07.2018 द्वारा विश्वविद्यालय को निवेदन किया गया है राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय सेवानियमों में भी विश्वविद्यालय के किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित को विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया जावे। उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

C. एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु :–

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क. F.1(5)FD/Rules/2016 Pt. I Jaipur दि. 30.03.2018 द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विस (कॉलेजिएट ब्रांच) के एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी चिकित्सकों की अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु 65 की गई है एवं 62 वर्ष के उपरान्त उन्हें अप्रशासनिक पदों पर ही रखे जाने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोशिएशन (RUHS) के पत्र दिनांक 29.07.2018 द्वारा विश्वविद्यालय को निवेदन किया गया है राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय सेवानियमों में भी राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्त होने वाले एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी चिकित्सकों की अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु 65 की जावे। उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप Retirement Gratuity/Death Gratuity. अनुकम्पा नियुक्ति एवं एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी चिकित्सकों की अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु के प्रावधानों को विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों हेतु लागू किये जाने की प्रबन्ध मण्डल द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव वित्तीय आकलन के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।**

बिन्दु सं. 40 **विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालय) के कार्मिकों की पदोन्नति की प्रक्रिया राज्य सरकार एवं संबंधित उच्च परिषदों के अनुसार किये जाने के संबंध में प्रस्तावित परिनियम सं. 02 (Statute-02) के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालय) के कार्मिकों की पदोन्नति की प्रक्रिया राज्य सरकार एवं संबंधित उच्च परिषदों के अनुसार किये जाने के संबंध में विद्या परिषद की 110वीं बैठक दि. 29.08.2017 (बिन्दु सं. 14) में अनुशंषा की गई जिसका अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल की 116वीं बैठक दि. 22.09.2017 (बिन्दु सं. 4) में किया गया। प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की पदोन्नति हेतु प्रस्तावित परिनियम का प्रारूप महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति हेतु विश्वविद्यालय के पत्र क. 1046 दि. 09.04. 2018 द्वारा राज्यपाल सचिवालय, राजभवन प्रेषित किया गया।

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन द्वारा इस संबंध में पत्र क. 3344 दि. 27.04.2018 एवं 4854 दि. 15.06.2018 द्वारा अतिरिक्त सूचनाऐं चाही गई जिन्हें विश्वविद्यालय के पत्रांक क्रमशः 2756 दि. 30.04.2018 एवं 6846 दि. 02.07.2018 द्वारा प्रेषित की गई। उक्त क्रम में राज्यपाल सचिवालय, राजभवन का एक अन्य पत्र क. 7232 दि. 07.09.2018 विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्टेट्यूट्स (Statute-02) को पुनः विस्तृत रूप में रिड्राफ्ट किये जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए है।

राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त उक्त पत्र के संदर्भ में प्रस्तावित परिनियम सं. 02 (Statute-02) कों श्री के.सी.डी. माथुर, सलाहकार, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा विस्तृत रूप में रिड्राफ्ट किये जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है :–

Proposed Statute
NOTIFICATION Statute No.02. In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No. 1 of 2005), the Board of Management of the University

hereby makes the following Statutes to prescribe qualifications & experience for promotion of University employees and also constitution of Committees, namely:--

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES EMPLOYEES (QUALIFICATIONS & EXPERIENCE FOR PROMOTION AND CONSTITUTION OF COMMITTEES) STATUTES, 2018

(Statute No. 02)

(Received Assent of the Chancellor on _____)

1. **Short title & commencement.**- (1) These Statutes may be called the Rajasthan University of Health Sciences Employees (Qualification & Experience Promotion and Constitution of Committees) Statutes, 2018.

   (2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Applicability of Rules/Guidelines for promotion.**- The qualifications and experience for promotion of University employees and employees of constituent Colleges (Medical & Dental College) (Teaching & Non-teaching) shall be regulated by the rules of Government of Rajasthan and various Higher regulatory authorities (e.g. Govt. of India/ M.C.I./ D.C.I./ MHRD/U.G.C. etc.), as the case may be, as per Schedule attached to these Statute with the modification that the constitution of Departmental Promotion Committees/D.A.C.P. shall be as follows, namely:-

   (a) D.P.C./D.A.C.P. for teaching and non-teaching Posts covered under Raj. Universities' Teachers & Officers (Selection for Appointments) Act, 1974:-

1.	Vice-Chancellor or Pro Vice-Chancellor authorized by him	Chair-person
2.	One member of the Board of Management nominated by the Vice-Chancellor	Member
3.	Member nominated by the Govt. as Educationist in Selection Board constituted under the Act,1974	Member
4.	Principal of concerned constituent College	Member
5.	Registrar of the University	Member-Secretary

   (b) D.P.C. for Subordinate and Ministerial Services –

1.	Vice-Chancellor or Member of Board of Management nominated by him	Chair-person
2.	Registrar of the University	Member
3.	Principal of concerned constituent College	Member
4.	Superintendent of Hospital of the Constituent College	Member
5.	Officer-in-Charge (Establishment)	Member-Secretary

   (C) Committee to recommend relaxation of prescribed experience for promotion:-

1.	Pro Vice-Chancellor of the University	Chair-person
2.	Principal of concerned constituent College	Member
3.	Registrar of the University	Member
4.	Officer-in-Charge (Establishment)	Member-Secretary

3. Repeal and Saving. -Rules and/or Orders, if any, in relation to matters covered by these statutes and in force immediately before the commencement of these statutes are hereby repealed:
Provided that any action taken under the Rules and/or orders so repealed shall be deemed to have been taken under the provisions of these statutes.

Schedule
(See Statute No. 2.2)
Rules applicable for recruitment to be made by promotion in the University

S.No.	Name of posts on which promotion to be made	Rules applicable
01	Sr. Professor/Professor/Associate Professor	Rules 24B & 24BB of The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962 & MCI/DCI/UGC etc. norms
02	Assistant Professor	The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962
03	Sr. Medical Officer	Rules 24B of The Rajasthan Medical & Health Service Rules, 1963
04	Dy. Registrar	As per guidelines of MHRD & DOP Notification No. F-7(5)DOP/A-II/2002 Dated 23-07-2003 (As amended from time to time regarding Promotion to Higher posts)
05	Assistant Registrar	
06	Section Officer	The Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954
07	Private Secretary	
08	Ministerial Cadre Posts	The Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1971
09	Subordinate Service Posts related as Medical & Health	The Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965
10	Other Subordinate Service Posts	Relevant Subordinate Service Rules of the State Govt.

अतः विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालय) के कार्मिकों की पदोन्नति के संबंध में प्रस्तावित परिनियम सं. 02 (Statute-02) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के कार्मिकों की पदोन्नति के संबंध में उपरोक्त प्रस्तावित परिनियम सं. 02 (Statute-02) के शिड्यूल में वर्णित सेवानियमों/गाईडलाईन्स/नॉर्म्स को राज.स्वा.वि.वि. द्वारा धारित (Adopt) किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त सेवानियमों/गाईडलाईन्स/नॉर्म्स राज.स्वा.वि.वि. के स्वयं के सेवानियम/स्टेच्यूज प्रभावी होने तक राज.स्वा.वि.वि. में लागू रहेंगे।**

विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्तावित परिनियम सं. 02 (Statute-02) के उपरोक्त प्रारूप का (मय शिड्यूल) प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया जाकर इसे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 के अनुसार आवश्यक अनुमति/स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 41 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के संघटक नवीन चिकित्सालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर तथा विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर एजेन्सी के माध्यम से भर्ती/नियुक्ति की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में:–**

शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार का पत्रांक प.9(71)डी.एम.ई./2017 पार्ट जयपुर दिनांक 10.09.2018 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु नवीन पदों के सृजन एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.04.2015 के प्रावधानों के अध्यधीन पदों को भरने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की गई है :–

1. विश्वविद्यालय पदों को भरने से पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतन) नियम 2017 हेतु वित्त (नियम) विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नोटिफिकेशन/संशोधनों एवं वित्त (नियम) विभाग द्वारा आरयूएचएस को पुनरीक्षित वेतनमान वर्ष 2017 के क्रम में प्रदत्त सहमति के अनुसार पदों के वेतनमान सुनिश्चितता आवश्यक रूप से करावें।
2. उपर्युक्तानुसार पदों में से जो पद सेवानियमों में नही है, विश्वविद्यालय उन पदों को भर्ती से पूर्व नियमानुसार सेवानियमों में सम्मिलित करने, भर्ती प्रक्रिया एवं वेतनमान निर्धारित कराने की कार्यवाही करावें।
3. विश्वविद्यालय उपर्युक्तानुसार पदों को विश्वविद्यालय के अनुमोदित सेवानियमों के प्रावधानों, नियत प्रक्रियानुसार एवं पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए ही भरने की कार्यवाही करावें।
4. उपर्युक्तानुसार समस्त पदों का वित्तीय भार विश्वविद्यालय की स्वयं की आय के स्त्रोतों से वहन किया जायेगा।

यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के स्वयं के सेवानियम एवं परिनियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस विश्वविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स धारित किये हुए है। मेडिकल संकाय में चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्ड भी इस विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से लागू है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति The Rajasthan Universities teachers and Officers (Selection for appointment) Act No. 18, 1974 as amended No. 24 for 1976 के अनुसार की जाती है।

साथ ही राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ.1(39)आरबी/96–पार्ट/5865 दिनांक 19.07.2018 के द्वारा विश्वविद्यालयो में शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया, यदि कोई प्रक्रिया में है तो, को स्थगित किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.07.2018 की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय का उद्घाटन निकट भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार द्वारा नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृत शैक्षणिक पदों को राज्य सरकार में प्रचलित नियमों के तहत नियमित/यूटीबी पर एवं विभिन्न अशैक्षणिक पदों को एजेन्सी के माध्यम से भरे जाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.9(71)डी.एम.ई./2017 पार्ट जयपुर दिनांक 10.09.2018 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृति पदो पर नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। उक्त प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।**

(इस संबंध में की गई विस्तृत चर्चा एवं अन्य निर्णय इस कार्यवाही विवरण के टेबल एजेण्डा सं. 1 में वर्णित है)

बिन्दु सं. 42 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक नवीन चिकित्सालय हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न पदों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार के माध्यम से भरे जाने के संबंध में:–**

शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार का पत्रांक प.9(71)डी.एम.ई./2017 पार्ट जयपुर दिनांक 10.09.2018 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार का पत्रांक प. 9(17) DME/2017/7899 दिनांक 01.12.2017 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु नर्सिंग संवर्ग के निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया है :–

S.No	Name of Post	Sanction Post
01	Nursing Superintendent	01
02	Deputy Nursing Superintendent	01
03	Assistant Nursing Superintendent	01
04	Nursing Sister	01
05	Staff Nurse Grade-II	100
	Total Posts (A)	**104**
01	Nursing Superintendent Grade-I	03
02	Nursing Superintendent Grade-II	06
03	Nurse Grade-I	24
04	Nurse Grade-II	13
	Total Posts (B)	**46**
	Total Posts (A+B)	**150**

उल्लेखनीय है कि राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय का उद्घाटन इसी माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा किया जाना संभावित है। अतः नवीन चिकित्सालय को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के दृष्टिगत पूर्व में विश्वविद्यालय के संदर्भित पत्रों के द्वारा नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृत नर्सिंग संवर्ग के उक्त पदों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार के माध्यम से भरे जाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के सेवानियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः राज्य सरकार उपरोक्त पत्रों के द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृत नर्सिंग संवर्ग के उक्त पदों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार के माध्यम से भरे जाने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार का पत्रांक प.9(71)डी.एम.ई./2017 पार्ट जयपुर दिनांक 10.09.2018 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु नर्सिंग संवर्ग के स्वीकृत पदों पर यदि राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पद कार्मिक लगाये जाते है तो वे राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर सकेंगे।**

बिन्दु सं. 43 **मिशन अन्त्योदय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्मार्ट विलेज मॉडल के तहत ग्राम वाटिका, तहसील, सांगानेर, जयपुर को गोद लिये जाने के संबंध में:–**

स्मार्ट विलेज इन्शियेटिव योजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में ग्राम– अजमेरीपुरा, तहसील–चाकसू को गोद लिया जाकर चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विकास कार्य सम्पादित किये गये थे। उक्त गांव को गोद लिये जाने के पश्चात 2.5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क. F.38(8)TWC/RDM/2017/4281 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा "मिशन अन्त्योदय" के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्मार्ट विलेज मॉडल के तहत विश्वविद्यालय को एक अन्य गांव गोद लिये जाने के निर्देश प्राप्त हुए। राजभवन द्वारा उक्त योजना के तहत प्रस्तावित गांवों की सूची में से जिले जयपुर के अन्तर्गत क. सं. 299 में वर्णित गांव वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर को राज.स्वा.वि.वि. द्वारा गोद लिया गया है एवं राजभवन को सूचित किया जा चुका है। उक्त गांव का राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद/ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किये सर्वे/गेप एनालिसिस के आधार पर एक्शन–प्लान तैयार किया गया है जिसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : मिशन अन्त्योदय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्मार्ट विलेज मॉडल के तहत ग्राम वाटिका, तहसील, सांगानेर, जयपुर को गोद लिये जाने के संबंध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त गांव की प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत खर्च होने वाली सम्भावित राशि हेतु राज्य सरकार से आवश्यक अनुदान प्राप्त किये जाने का भी निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त गांव में चिकित्सकीय सेवाऐं उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 44 **राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हेतु जे.एस.सी.एल. द्वारा प्राप्त पत्र एवं एम.ओ.यू. के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हेतु जे.एस.सी.एल. द्वारा प्रेषित एम.ओ.यू. में यथा संशोधन उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्र क. 13553 दि. 31.10.2017 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई। उक्त सहमति प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **इस संबंध में सदन को अवगत कराया कि राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हेतु माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। जिसकी कियान्विति हेतु अद्यीक्षक, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर द्वारा जे.एस.सी.एल. से एम.ओ.यू. किया गया है। राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा उक्त कार्य हेतु मात्र सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई है एवं इस कार्य में विश्वविद्यालय कोष से किसी प्रकार की राशि खर्च नहीं की जानी है। प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ उक्त एजेण्डा इस बैठक में प्रस्तुत किया गया है।**

बिन्दु सं. 45 **विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 357 A(i) के अनुसार अशैक्षणिक कार्मिकों के प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन के उपरान्त भी लंबित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2018 के संबंध में विचार–विमर्श :–**

विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 357 A(i) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में नियुक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की प्रोबेशन अवधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष किये जाने के विभिन्न प्रकरणों पर प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठकों दि. 28.10.2014, 02.09.2014, 29.09.2015, 28.09.2016 एवं 19.04.2017 में निर्णय लिया जा चुका है एवं विभिन्न प्रकरणों में प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार एक वर्ष की अवधि के आदेश भी प्रसारित किये जा चुके हैं। परन्तु, इस संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2018 की अनुशंषा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के 'ऑर्डिनेन्स 357' सहित समस्त ऑर्डिनेन्स इस विश्वविद्यालय द्वारा धारित किये जाने का निर्णय विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 18.10.2006 में लिया गया था। विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 357 A(i) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रकरणों पर प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठकों दि. 28.10.2014, 02.09.2014, 29.09.2015, 28.09.2016 एवं 19.04.2017 में निर्णय लिया जाकर ऑर्डिनेन्स के तहत उपयुक्त पाये गये विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की प्रोबेशन अवधि 24 माह के स्थान पर 12 माह की जा चुकी है एवं तत्संबंधी आदेश भी समय–समय पर प्रसारित किये जा चुके हैं। सदन को अवगत कराया कि इस संबंध में पुनः एक गठित कमेटी की गई है एवं उक्त कमेटी ने द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दि. 23.09.2014 के प्रावधानों के दृष्टिगत प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल द्वारा पुनर्विचार (Review) किये जाने हेतु अनुशंषा की है।**

डॉ. वी.एम. कटोच, माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि चुंकि शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के विभिन्न प्रकरणों में प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में इस संबंध में कई बार निर्णय लिये जा चुके है एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से आदेश भी जारी किये जा चुके है जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा धारित ऑर्डिनेन्स 357 A(i) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार है। अतः प्रबन्ध मण्डल के द्वारा जहां इस संबंध में पूर्व में लिऐ गये निर्णय लिया जा चुका हो एवं इनकी अनुपालना में प्रशासनिक आदेश भी जारी किये जा चुके हो, तो ऐसे निर्णयों में परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

बैठक में उपस्थित वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 357 A(i) में वर्णित प्रावधानों एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2014 में प्रोबेशन की अवधि को लेकर भिन्नता है। राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के कम में शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राज. सरकार के पत्र दि. 01.01.2015 द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमों में उक्त प्रावधान नहीं रखे जाने एवं इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 46 **विश्वविद्यालय सेवा नियमों हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 26.09.2018 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.05.2016 के अतिरिक्त प्रस्ताव में लिये गये निर्णय के अनुसरण में आदेश क्रमांक 23386–99 दिनांक 19.03.2016 तथा क्रमांक 6101 दिनांक 21.06.2016 द्वारा विश्वविद्यालय सेवा नियमों हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 26.09.2018 को आयोजित की गई। उक्त बैठक का बैठक कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमादन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय सेवा नियमों हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 26.09.2018 पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के उक्त कमेटी की अनुशंषा के साथ प्रस्तावित सेवानियमों/स्टेच्यूज का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया जाकर इन्हें आवश्यक स्वीकृति हेतु माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**

TABLE-AGENDA

टेबल एजेण्डा–1 (बैठक के मूल एजेण्डा सं. 41 के कम में)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृत हुए विभिन्न 19 शैक्षणिक पदों को तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर भर्ती किये जाने के संबंध में :–

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.9(71)डी.एम.ई./2017 पार्ट जयपुर दिनांक 10.09.2018 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संघटक 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृत हुए विभिन्न 19 शैक्षणिक पदों को तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर भर्ती किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के पत्रांक 12225 दि. 17.09.2018 द्वारा अनुमति/मार्गदर्शन चाहा गया था। निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार से इस संबंध में पत्र क. 5128 दि. 27.09.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि वि.वि. की प्रबन्ध मण्डल की बैठक दि. 08.04.2015 के प्रस्ताव सं. 13 में लिए गये निम्नलिखित निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:–

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दि. 15.04.2015 – निर्णय सं. 13 :

".....बैठक में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा एक वर्ष की अवधि तक आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियुक्ति विश्वविद्यालय से अनुमोदन उपरांत की जा सकेगी। एक वर्ष उपरांत उक्त अभिवद्धि हेतु राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) से अनुमोदन आवश्यक है।"

उक्त संबंध में वित्त विभाग की शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय को निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक 5865 दिनांक 19.07.2018 के द्वारा **विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती, यदि कोई प्रक्रिया में है तो, को स्थगित किये जाने के संबंध में** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.07.2018 की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया है। अतः राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर से भर्ती प्रकिया के संबंध में स्थगन के आदेश के दृष्टिगत रिक्त 19 शैक्षणिक पदों के संबंध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दि. 15.04.2015 के निर्णय सं. 13 के अनुक्रम में 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय हेतु स्वीकृत हुए विभिन्न 19 शैक्षणिक पदों को तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर विश्वविद्यालय स्तर पर भर लिया जावे।**

टेबल एजेण्डा–2 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में चिकित्सक शिक्षकों/रेजीडेन्ट्स/ अशैक्षणिक अधिकारियों/ कार्मिकों/रिसर्च प्रोजेक्ट्स इत्यादि में तत्काल/अस्थायी आधार पर भर्ती हेतु गठित चयन समिति के पुनर्गठन के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय कार्यालय आदेशांक 23501 दिनांक 17.02.2017 विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर चिकित्सक शिक्षकों/रेजीडेन्ट्स/अशैक्षणिक अधिकारियों/कार्मिकों /रिसर्च प्रोजेक्ट्स इत्यादि में वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु एक चयन समिति का गठन किया गया था। उक्त चयन समिति के सदस्य डॉ. अरूण गुप्ता, आचार्य, दंत विज्ञान महाविद्यालय के सेवानिवृत्त हो चुके है। अतः उक्त चयन समिति के पुनर्गठन के संबंध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति हेतु विस्तृत गाईडलाइन्स भी तैयार की जानी प्रस्तावित है।

निर्णय : **उक्त प्रस्ताव के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर पर ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति हेतु गाईडलाइन्स राज्य सरकार में प्रचलित नियमों/आदेशों अनुरूप होगी।**

टेबल एजेण्डा–3 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में आचार्य, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का एक नवीन पद सृजित किये जाने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्र क. 7773 दि. 19.07.2018 द्वारा अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में रेडियोलॉजी विभाग संचालित है जिसमें एम.सी.आई. के नियमों के अनुसार विभिन्न उपकरण, मशीनें आदि उपलब्ध कराई गई है। उक्त महाविद्यालय से संबद्व राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में वर्तमान में उक्त विभाग से संबंधित विभिन्न डायग्नोस्टिक सर्विसेज जैसे सी.टी., एम.आर.आई., टी.एम.टी., एक्स–रे, सोनोग्राफी, 2डी–ईको एवं अन्य एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी उपलब्ध करवाई गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त विभाग को संचालित किये जाने हेतु रेडियोलॉजीकल फिजिक्स विषय के एक वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य की आवश्यकता है एवं वर्तमान में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में रेडियोलॉजीकल फिजिक्स विषय का एक भी शैक्षणिक पद स्वीकृत नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु राज.स्वा.वि.वि., एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज एवं टाटा ट्रस्ट के मध्य ट्राई पार्टी एग्रीमेन्ट भी किया जा रहा है। कैंसर रोग के इलाज हेतु जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उनको स्थापित करने एवं संचालित करने हेतु रेडियोलॉजीकल फिजिक्स के योग्य चिकित्सक शिक्षक की आवश्यकता होती है।

स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट के अतिरिक्त राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का 500 शैय्याओं का नवीन चिकित्सालय भी निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रारम्भ किया जाना है जिसमें भी विभिन्न चिकित्सा व जाँच सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी है। महाविद्यालय के 500 शैय्याओं के नवीन चिकित्सालय में रेडियोलॉजी विभाग से सम्बन्धित जाँचें एवं रेडियोथैरेपी द्वारा कैंसर रोगियों की जाँचें व इलाज हेतु कोबाल्ट एवं लिनियेक इत्यादि मशीनें निकट भविष्य में निजी सहभागिता से स्थापित की जानी प्रस्तावित है। इस प्रकार की उच्च श्रेणी की जाँच व निदान सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु एक आचार्य, रेडियोलॉजीकल फिजिक्स के पद की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त आवश्यकता के दृष्टिगत प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में आचार्य (रेडियोलॉजीकल फिजिक्स) का एक पद स्वीकृत करने एवं उस पद को भरने की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया है। उक्त प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

:

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में आचार्य, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का एक नवीन पद सृजित किये जाने एवं उस पद को भरने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई एवं इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा–4 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सर्जरी विभाग में स्वीकृत सह–आचार्य के पद के विरूद्ध आचार्य, सर्जरी की पुनर्नियुक्ति करने के संबंध में :–**

डॉ. सुशील कुमार कोचर, आचार्य को राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सह–आचार्य, सर्जरी के रिक्त पद के विरूद्ध आचार्य के पद पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फिक्स मानदेय पर तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक 17703 दिनांक 16.12.2017 के द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय के उक्त पत्रांक के क्रम में राज्य सरकार के पत्रांक 251 दिनांक 16.01.2018 के द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर निम्नानुसार टिप्पणी अंकित कर भिजवायी गई है :–

"डॉ. सुशील कुमार कोचर, आचार्य को आवश्यक/अस्थायी आधार पर नियुक्ति दिये जाने के प्रकरण में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।"

अतः राज्य सरकार से प्राप्त उक्त टिप्पणी के क्रम में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर हेतु स्वीकृत सह–आचार्य, सर्जरी के रिक्त पद के विरूद्ध डॉ. सुशील कोचर, आचार्य को आचार्य, सर्जरी के पद पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फिक्स मानदेय पर तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति किये जाने की अनुमति के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सर्जरी विभाग में स्वीकृत सह–आचार्य के पद के विरूद्ध आचार्य, सर्जरी की पुनर्नियुक्ति करने के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।**

टेबल एजेण्डा–5 **तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर से 50 नर्सिंगकर्मी महाविद्यालय के नवीन 500 बैड के चिकित्सालय में पदस्थापित करने एवं इनके वेतन भुगतान के संबंध में :–**

दिनांक 26.09.2018 को महाविद्यालय के नवीन चिकित्सालय को प्रारंभ करने के दृष्टिगत हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने पत्रांक 14330 दिनांक 27.09.2018 द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत 50 नर्सिंगकर्मी विश्वविद्यालय के नवीन चिकित्सालय में पदस्थापित करने निवेदन किया गया है। उक्त 50 नर्सिंगकर्मियों के एस.एम.एस. चिकित्सालय से विश्वविद्यालय के नवीन चिकित्सालय में पदस्थापन एवं इनके वेतन भुगतान के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत

निर्णय : **तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर से 50 नर्सिंगकर्मी महाविद्यालय के नवीन 500 बैड के चिकित्सालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इन नर्सिंगकर्मियों का वेतन भुगतान राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्तर से किया जावेगा।**

टेबल एजेण्डा–6 **विश्वविद्यालय सेवा के अशैक्षणिक कार्मिकों (लिपिक वर्ग) के पदनामों को राज्य सरकार के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा के पदनामों के अनुरूप परिवर्तित किये जाने के संबंध में:–**

कार्मिक (क ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2)डीओपी/ए ा/2006 पार्ट ।। जयपुर दिनांक 08.09.2017 द्वारा राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में लिपिक वर्ग के विभिन्न पदों का पदनाम परिवर्तन निम्नानुसार किया गया है:–

क्र.सं.	विद्यमान अभिव्यक्ति	परिवर्तित पदनाम
1.	कार्यालय अधीक्षक व सहायक प्रशासनिक अधिकारी	अतिरिक्त प्रशासिनक अधिकारी
2.	लिपिक ग्रेड–।	वरिष्ठ सहायक
3.	लिपिक ग्रेड–।।	कनिष्ठ सहायक

अतः विश्वविद्यालय सेवा के अशैक्षणिक कार्मिकों (लिपिक वर्ग) के पदनामों को राज्य सरकार के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा के पदनामों के अनुरूप परिवर्तित किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

टेबल एजेण्डा–7 **वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालय में 10 मशीन विद मैन की सेवायें लिये जाने के संबंध में:–**

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. सरकार के पत्रांक 6326 दिनांक 16.09.16 द्वारा विश्वविद्यालय में वर्ष 2016–17 हेतु 10 मशीन विद मैन की सेवाये लिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस संबंध में विश्वविद्यालय की प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.09.2017 के टेबल एजेण्डा सं. 6 में "राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी 10 मशीन विद मैन की स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2017–18 में ली गयी/जा रही सेवाओं की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए आगामी वर्ष 2018–19 के लिए अवधि/सेवाए निरन्तर रखने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया"।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 23433 दिनांक 09.02.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु विश्वविद्यालय में 10 मशीन विद मैन लिये जाने बाबत राज्य सरकार को निवेदन किया गया। इसके पश्चात राज्य सरकार को इसी प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुनः एक स्मरण पत्र क. 6464 दिनांक 28.06.2018 प्रेषित कर निवेदन किया गया। राज्य सरकार से इस संबंध में स्वीकृति आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः विश्वविद्यालय का कार्य नियमित एवं सुचारू रूप से संपादित किय जाने दृष्टिगत 10 मशीन विद मैन वर्ष 2018–19 में ली जा रही/लिये जाने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय का कार्य नियमित एवं सुचारू रूप से संपादित किय जाने दृष्टिगत 10 मशीन विद मैन लिये जाने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई एवं प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा–8 **श्री ताराचन्द शर्मा, लिपिक ग्रेड–II की परिवीक्षा अवधि में हुए मेडिकल व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में:–**

श्री ताराचन्द शर्मा, लिपिक ग्रेड–II द्वारा दिनांक 06.01.2018 को परिवीक्षा अवधि में हुए मेडिकल व्यय राशि रू. 95305/– के पुनर्भरण हेतु कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि. को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उल्लेखनीय है कि मेडिकल व्यय के समय राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा कर्मचारियों को मेडिकल पुनर्भरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित नहीं हो सकी जिसके कारण प्रार्थी को उक्त राशि का भुगतान बीमा विभाग द्वारा किया जाना सम्भव नहीं हो सका। वित विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F.6(6)FD(Rules)/2005 Dated 13.03.2006 के अनुसार :–

> *"It has been decided that the provisions of Medi-claim insurance coverage as applicable to the government Servents who join government service after regular recruitment on or after 01.01.2004 issued vide FD circular letter no. F.6(5)FD(rules)/2004 dated 27.07.2004* ***shall also be applicable to the probationer-trainees.***"

राज्य सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रार्थी द्वारा विश्वविद्यालय को निवेदन किया गया है कि वह परिवीक्षा अवधि के दौरान भी मेडिकल के व्यय के पुनर्भरण हेतु पूर्णतया योग्य है। अतः श्री ताराचन्द शर्मा, लिपिक ग्रेड–II की परिवीक्षा अवधि में हुए मेडिकल व्यय राशि रू. 95305/– के पुनर्भरण के सम्बन्ध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकरण का निस्तारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से ही किया जाना उचित है। विचार–विमर्श उपरान्त उक्त प्रकरण का निस्तारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा–9 **श्री विजय प्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक (प्रतिनियुक्ति) के द्वारा उनके चार्ज हस्तांतरण संबंधी प्रकरण में गठित कमेटी की अनुशंषा दि. 13.06.2018 के संबंध में :–**

श्री विजय प्रताप सिंह (जो कि पूर्व में इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर राज. स्टेट हैण्डलूम डवलेपमेंट कॉर्पोरेशन से कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत थे) के परीक्षा स्टोर संबंधी कार्य हस्तान्तरण में

पाई गई कमी के संदर्भ सम्पूर्ण तथ्यों/जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु (परीक्षा अनुभाग से) आदेश कमांक 4414–23 दिनांक 8.06.18 कमेटी का गठन किया गया, कमेटी द्वारा भू–तल स्थित परीक्षा स्टोर का मौका मुकायनाकरने तथा परीक्षा स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर श्री विजय प्रताप सिंह के द्वारा उनके कार्य हस्तांतरण में कमेटी द्वारा विभिन्न (स्नातक परीक्षा/स्नातकोत्तर/पुर्नमूल्यांकन आवेदन फार्म) के विभिन्न कम पाये जाने के कारण कुल राशि रू. 02,43,080/– लाख की कमी पाई गई (कमेटी दिनांक 13.06.18 की बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है)।

उक्त संबंध में श्री विजय प्रताप सिह को भी कमेटी द्वारा व्यक्तिशः जानकारी प्राप्त की गई, उनके द्वारा अवगत कराया गया की परीक्षा स्टोर सामग्री का स्टॉक रजिस्टर का संधारण भली–भांति पूर्वक किया गया था। इस विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शुरू होने के समय उनके परीक्षा स्टोर सामग्री का स्थानान्तरण करवाया गया था, जिसके कारण परीक्षा स्टोर सामग्री अव्यवस्थित हो गयी। साथ ही परीक्षा स्टोर भूतल स्थित है। बरसात के समय भूतल स्थित विभिन्न कमरों में काफी मात्रा में पानी भर जाने के कारण भी काफी मात्रा में परीक्षा सामग्री खराब होने को दृष्टिगत रखते हुये बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 13.06.18 द्वारा श्री विजय प्रताप सिंह के चार्ज हस्तान्तरण में पाई गई कमी का अंकित मूल्य राशि रू. 02,43,080/– थी, के संबंध में सक्षम स्तर पर उचित निर्णय उपरान्त ही संबंधित कार्मिक को विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की गई। कमेटी द्वारा प्रस्तुत उक्त अनुशंषा के संबंध में उचित निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **टेबल एजेण्डा सं. 8 के अनुसार ही उक्त प्रकरण का निस्तारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर से किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा–10 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की 01 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्यावधि में अभिवृद्धि की प्रकिया के संबंध में:–**

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की 01 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्यावधि में अभिवृद्धि किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाता है। प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्र क. 8544 दि. 25.07.2018 द्वारा इस संबंध में यह अवगत कराया है कि ऐसे प्रकरणों में कार्यावधि के संबंध में राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के माध्यम से पुनः महाविद्यालय को सूचना प्राप्त होने की प्रकिया में अत्याधिक समय लगता है। प्रधानाचार्य द्वारा यह मार्गदर्श चाहा गया है कि इनकी निर्धारित सेवा समाप्ति के दौरान इनकी सेवाओं को निरन्तर रखा जावें या सेवा अवधि समाप्त होते ही कार्यमुक्त किया जावें। ऐसी परिस्थिति में इन शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन भुगतान प्रकिया को लेकर भी असमंजस बना रहता है। अतः उपरोक्त परिस्थति में की की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत चिकित्सकों की नियुक्ति एवं इनकी कार्यावधि बढाये जाने से संबंधित सभी प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति एवं तत्संबंधी समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा–11 **विद्या–परिषद की बैठक दि. 29.09.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**

विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.09.2018 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **उक्त प्रस्ताव को डेफर (Defer) किया गया।**

टेबल एजेण्डा–12 **श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विभिन्न न्यायिक प्रकरणों में पैरवी के संबंध में प्रस्तुत फीस के बिलों के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित न्यायिक प्रकरणों में पैरवी के संबंध में श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपने फीस के बिल विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किये है :–

S.No.	Case Detail	Fees (Amt. in Rs.)
1.	Dr. Pradeep Jain Vs State & ors DBCWP No. 8750/2017	150000

2.	Dr. Pawan Agarwal & ors Vs State & ors DBCWP No. 13225/2011	100000
3.	Dr. Anjali Dave Tiwari & ors. Vs State & ors DBCWP No. 9035/2016	100000

श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त फीस के बिलों के भुगतान के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त फीस के बिलों की राशि सामान्यतः प्राप्त होने वाले इस प्रकृति के बिलों से अधिक है अतः विशिष्ट परिस्थितियों एवं उपरोक्त प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्ता की वरिष्ठता के दृष्टिगत इन बिलों के भुगतान से पूर्व प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति आवश्यक है। विचार–विमर्श उपरान्त उक्त बिलों के भुगतान की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव एवं
कुलसचिव